

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

1/C

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

परिशिष्ट – “क”

भोजीपुरा जं० स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 1 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश –

1. विवरण

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	1/ सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्रैफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	0 / .6–.7
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा –देवरनिया
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	डाउन होम एवं अप स्टार्टर तथा शन्ट सिगनल बी०जी० से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	--
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा के साथ
15	समपार फाटक की चौड़ाई	4.45 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	4.00 मीटर
21	सड़क का क्रॉसिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	गोलाई
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	5.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	6.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 1/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3060 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	हों

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेल्टा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पृथी सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि लागू तिथि

भोजीपुरा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

- (1) सावधानी
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।
- (2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।
 - (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
 - (ii) दिन में गेट मैन दौये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
 - (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
 - (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।
- (3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी
 - (i) गेट मैन समपार फाटक पर आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
 - (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
 - (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
 - (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)	(बालक राम)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर	मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्धई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैसिंग ट्राई कलर चार्ट दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैसिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे लोको पायलट सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और तत्पश्चात **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश —

2.1 संचालन पद्धति —

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी **पी-1** को निकाल लेगा तथा बूम लॉक में चाबी **पी-1** लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को रिवर्स करेगा। इसके बाद बूम लॉकिंग लीवर से चाबी **'पी'** को निकाल लेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात इसे गेट लॉज में लगे के०एल०सी०आर० में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी गुजर जाने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा प्रेषित चाबी **'पी'** गेटमैन के०एल०सी०आर से एन्टी-क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। 'पी' चाबी को बूम लाकिंग लीवर नम्बर 1 में लगाकर लीवर को नार्मल करके चाबी **'पी-1'** निकाल लेगा तथा इसे विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को तब तक खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जायें।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा, देवरनिया** की ओर से आने वाली डाउन/अप गाड़ी के लिये आगमन / प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

गेट मैन गेट बन्द करके चाबी **'पी'** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, को ट्रॉसफर करेगा।

- इसके बाद आगमन अथवा प्रस्थान सिगनल आफ किये जायेगे।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा —

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि लागू तिथि

भोजीपुरा

4. इसके बाद स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा द्वारा आगमन / प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
5. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
6. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- 1 कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- 2 कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा स्टेशन मास्टर/देवरनिया को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- 3 तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/देवरनिया गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गाड़ी के गार्ड की सहायता लेगा।
- 5 कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 6 कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि लागू तिथि

भोजीपुरा

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

- जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट करे काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब गाड़ी **देवरनिया** की तरफ से आने वाली हो तब **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

- जब गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में लीवर लाक से बाहर न निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत **स्टेशन मास्टर** पैनल कक्ष रूपापित पार्किंग एच०के०टी० से आपात कालीन चाबी 'पी ई' निकालकर गेट पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लागू रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा—

क्रम सं०	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग के कारण
1	2	3	4	5	6

- कार्यरत गेटमैन चाबी 'पीई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली एम०जी०/बी०जी० गाड़ी के लिए कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**भोजीपुरा**, बी०जी० गाड़ी के लिये स्टेशन मास्टर—**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट की तरफ जाने वाली एम०जी० अथवा बी०जी० गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**दोहना या स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट के तरफ जाने एम०जी० अथवा बी०जी० गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा। इस परिस्थिति में गेट को नान—इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**भोजीपुरा** स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाबी गेट के खुली दशा में खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये काशन आर्डर जारी करना चाहिए।
4. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 समपार फाटक पर अवरोध —

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल आपात कालीन स्विच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालीन स्विच के संचालन की विधि निम्न प्रकार है —
आपात कालीन स्विच:—आपात कालीन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आपात से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या 1/C पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लागू रजिस्टर के रिमार्क कालम सं० 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्दई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 1/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

भोजीपुरा

लागू तिथि

3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा फ्लैशिंग ड्राई कलर टार्च तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे है।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु काशन आर्डर जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** जिम्मेदार दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)	(बालक राम)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर	मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 3/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

परिशिष्ट – “क -I”

भोजीपुरा-देवरनिया के मध्य स्थित इंजी० गेट सं० 3 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश

—

1. विवरण

1.1 सामान्य —

1	समपार फाटक की संख्या	3/ सी
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	से०ई०(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	3 /8-9
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा – देवरनिया
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	नान-इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	4.10 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	खंजनपुर रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड एवं खंजनपुर
20	सड़क की चौड़ाई	4.10 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 20
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	4.10 मीटर

(अतुल सिंह)

मसिदूई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मुसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मु०/इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

गेट संख्या 3/C

लागू तिथि

भोजीपुरा

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	2996 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)
मसिदूइ०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)
मई/मुख्या० /इज्जत०

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :**(1) सावधानी—**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

(बालक राम)

मुसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द्र)

मई/मुख्या0 /इज्जत0

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

- यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
 - (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
 - (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
 - (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
 - (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 3/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर— भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूइ०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

मुसिदूई/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए बूम लाकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। इसके बाद गेटमैन दिन में बाँये हाथ में सिमटी हुई हथेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये। गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करना :-

1. गाड़ियों का प्रस्थान :-

- (i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
- (ii) यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
- (iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ करेगा।
- (iv) **स्टेशन मास्टर –भोजीपुरा** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिगनल आफ करेगा/ प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।
- (v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

2. गाड़ियों का आगमन :-

- (i) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** किसी गाड़ी का लाइन स्टेशन मास्टर-देवरनिया को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।
- (ii) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके अपनी गोपनीय संख्या स्टेशन मास्टर –भोजीपुरा को देगा।
- (iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर-देवरनिया को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।
- (v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेंगे –

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूह/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

मुसिदूह/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 3/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि लागू तिथि

भोजीपुरा

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
- तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
- लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

(बालक राम)
मुसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)
मई/मुख्या०/इज्जत०

- 6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी **देवरनिया** के तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 समपार फाटक पर अवरोध –

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।

2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** ने देवरनिया को किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर-देवरनिया को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को सूचित करेगा। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** यही सूचना कार्यरत **स्टेशन मास्टर -देवरनिया** को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा एवं देवरनिया** सभी गाड़ियों के चालकों को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूई०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

मुसिदूई/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

परिशिष्ट – “क—II”

भोजीपुरा जं० स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 228 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य —

1	समपार फाटक की संख्या	228 / सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्रैफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	299 / 13-14
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा —सेथल
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	एम० जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	डाउन होम एवं अप स्टार्टर तथा शन्ट सिगनल एम०जी० से इन्टरलाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	-
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा के साथ
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.05 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	मुकरन्दापुर—नैनीताल रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	मैटल्ड रोड
20	सड़क की चौड़ाई	3.50 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	105 डिग्री
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 20
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 20
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	गोलाई
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	5.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	स्पीड ब्रेकर
29	रोड साइन	उपलब्ध

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3060 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं	हाँ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर पलैंग लाल	03
5	लाल बैनर पलैंग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेल्टा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

- (1) सावधानी
गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।
- (2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति
ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।
 - (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
 - (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
 - (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
 - (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।
- (3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी
 - (i) गेट मैन समपार फाटक पर आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
 - (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
 - (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
 - (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा। (अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये पहले छोटी या बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे लोको पायलट सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एच० दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश —

2.1 संचालन पद्धति —

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी **आर-1** को निकाल लेगा तथा बूम लॉक में चाबी **आर-1** लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को रिवर्स करेगा। इसके बाद बूम लॉकिंग लीवर से चाबी '**आर**' को निकाल लेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात इसे गेट लॉज में लगे के०एल०सी०आर में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी गुजर जाने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा प्रेषित चाबी '**आर**' गेटमैन के०एल०सी०आर से एन्टी-क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। 'पी' चाबी को बूम लाकिंग लीवर नम्बर 1 में लगाकर लीवर को नार्मल करके चाबी '**आर-1**' निकाल लेगा तथा इसे विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को तब तक खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जायें।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :—

- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, **सेथल** की ओर से आने वाली डाउन गाड़ी को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी गाड़ी के लिये आगमन / प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

गेट मैन गेट बन्द करके चाबी 'पी' कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को ट्रॉसफर करेगा।

- इसके बाद आगमन अथवा प्रस्थान सिगनल आफ किये जायेंगे।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा —

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :—

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

4. इसके बाद स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा द्वारा आगमन / प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
5. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
6. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- 1 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- 2 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** **स्टेशन मास्टर/सेथल** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- 3 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/सेथल** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गाड़ी के गार्ड की सहायता लेगा।
- 5 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्धई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

- जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट करे काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब गाड़ी **सेथल** की तरफ से आने वाली हो तब **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/सेथल** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/सेथल** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

- जब गेट की चाबी लीवर लाक से बाहर न निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत **स्टेशन मास्टर** पैनल कक्ष रूपापित पार्किंग एच०के०टी० से आपात कालीन चाबी 'आर ई' निकालकर गेट पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लागू रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा—

क्रम सं०	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग के कारण
1	2	3	4	5	6

- कार्यरत गेटमैन चाबी 'आर ई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम लाक लीवर नार्मल करेगा बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान— इन्टरलाक समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली एम०जी०/बी०जी० गाड़ी के लिए कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 228/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

भोजीपुरा

लागू तिथि

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर—सेथल एम०जी० या इज्जतनगर बी०जी०** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**सेथल एम०जी० या इज्जतनगर बी०जी०** गेट की तरफ जाने वाली एम०जी०/बी०जी० गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेट मैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
 5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
 6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.6 **गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-**

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा। इस परिस्थिति में गेट को नान—इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
2. कार्यरत **स्टेशन मास्टर—भोजीपुरा स्टेशन मास्टर/सेथल** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाबी गेट के खुली दशा में खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/सेथल** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
3. कार्यरत **स्टेशन मास्टर—भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये काशन आर्डर जारी करना चाहिए।
4. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 **समपार फाटक पर अवरोध —**

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल **आपात कालीन स्विच** के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालिन स्विच के संचालन की विधि निम्न प्रकार है —

आपात कालीन स्विच:—आपात कालिन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **228/C** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लागू रजिस्टर के रिमार्क कालम सं० 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मा० को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 228/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा पलैसिंग ट्राई कलर टार्च तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/सेथल** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु काशन आर्डर जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** जिम्मेदार दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्धई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 229/C
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46
जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

परिशिष्ट – “क—III”

भोजीपुरा जं० स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 229 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य —

1	समपार फाटक की संख्या	229 / सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्रैफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	301 / 3.—4
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा —इज्जतनगर
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	अप होम एवं डाउन स्टार्टर सिगनल बी०जी०/ एम०जी० से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	--
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा के साथ
15	समपार फाटक की चौड़ाई	4.45 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड
20	सड़क की चौड़ाई	4.00 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	गोलाई
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	5.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	6.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3060 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं	हाँ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेल्टा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4. गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन समपार फाटक पर आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

((अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्दू/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये पहले छोटी या बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400/600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800/1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400/600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे लोको पायलट सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) **गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश -

2.1 संचालन पद्धति -

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी **क्यू-1** को निकाल लेगा तथा बूम लॉक में चाबी **क्यू-1** लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को रिवर्स करेगा। इसके बाद बूम लॉकिंग लीवर से चाबी **'क्यू'** को निकाल लेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात इसे गेट लॉज में लगे के०एल०सी०आर में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी गुजर जाने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा प्रेषित चाबी **'क्यू'** गेटमैन के०एल०सी०आर से एन्टी-क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। 'पी' चाबी को बूम लाकिंग लीवर नम्बर 1 में लगाकर लीवर को नार्मल करके चाबी **'क्यू-1'** निकाल लेगा तथा इसे विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को तब तक खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जायें।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा, दोहना** की ओर से आने वाली डाउन/अप एम०जी० तथा **इज्जतनगर** से बी०जी० डाउन/अप गाड़ी के लिये आगमन / प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथा गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

गेट मैन गेट बन्द करके चाबी 'पी' कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, को ट्रॉसफर करेगा।

- इसके बाद आगमन अथवा प्रस्थान सिगनल आफ किये जायेगे।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से गेट बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।
- इसके बाद स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा द्वारा आगमन / प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

5. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
6. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- 1 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- 2 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, एम०जी० गाड़ी के लिये स्टेशन मास्टर/**दोहना** तथा बी०जी० गाड़ी के लिये **इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
- 3 तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** एम०जी० गाड़ी हेतु तथा **इज्जतनगर** बी०जी० गाड़ी हेतु गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट गाड़ी के गार्ड की सहायता लेगा।
- 5 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
- 6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 229/C
संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि लागू तिथि

भोजीपुरा

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

- जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट करे काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब बी०जी० गाड़ी **इज्जतनगर** की तरफ से या एम०जी० गाड़ी **दोहना** की तरफ से आने वाली हो तब **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर / दोहना** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर / दोहना** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

- जब गेट की चाबी लीवर लाक से बाहर न निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत **स्टेशन मास्टर** पैनल कक्ष रूपापित पार्किंग एच०के०टी० से आपात कालीन चाबी 'क्यू ई' निकालकर गेट पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लागू रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा—

क्रम सं०	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग के कारण
1	2	3	4	5	6

- कार्यरत गेटमैन चाबी 'क्यू ई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम लाक लीवर नार्मल करेगा बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान— इन्टरलाक समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली एम०जी०/बी०जी० गाड़ी के लिए कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्ध/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर—दोहना एम0जी0 या इज्जतनगर बी0जी0** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**दोहना एम0जी0 या इज्जतनगर बी0जी0** गेट की तरफ जाने वाली एम0जी0/बी0जी0 गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेट मैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :—

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा। इस परिस्थिति में गेट को नान—इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
2. कार्यरत **स्टेशन मास्टर—भोजीपुरा बी0जी0 गाड़ी के लिये स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को तथा एम0जी0 गाड़ी के लिये **स्टेशन मास्टर / दोहना** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाबी गेट के खुली दशा में खराब है। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर / दोहना** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
3. कार्यरत **स्टेशन मास्टर—भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये काशन आर्डर जारी करना चाहिए।
4. गेटमैन चैन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 समपार फाटक पर अवरोध —

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल **आपात कालीन स्विच** के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालीन स्विच के संचालन की विधि निम्न प्रकार है —

आपात कालीन स्विच:—आपात कालीन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनलो को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **229/C** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनलो को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लागू रजिस्टर के रिमार्क कालम सं० 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्ध/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

भोजीपुरा

लागू तिथि

2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा फ्लैशिंग तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** बी० जी० गाड़ी हेतु कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को तथा एम० जी० गाड़ी हेतु **स्टेशन मास्टर/दोहना** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा।
10. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु काशन आर्डर जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** जिम्मेदार दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** मद संख्या 2.7 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229A/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

परिशिष्ट – “क—IV”

भोजीपुरा—दोहना के मध्य स्थित इंजी० गेट सं० 229। श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश –

1. विवरण

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	229A / सी
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	से०ई०(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	301 /8-9
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा—दोहना,भोजीपुरा—इज्जतनगर
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी० तथा एम०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	नान—इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	
14	संचार साधन टेलीफोन / घन्टी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	4.10 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	खंजनपुर रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड एवं खंजनपुर
20	सड़क की चौड़ाई	4.10 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 20
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	4.10 मीटर

(अतुल सिंह)

मसिदूई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229A/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	2996 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	समग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	छुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चैन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम) (पी०आर०श्रीवास्तव)
 मसिद्धि०/इज्जतनगर म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत मसिद्धि०/नि/लखनऊ मई/मुख्या०/इज्जत०

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :**(1) सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम) (पी०आर०श्रीवास्तव)
मसिदूई०/इज्जतनगर म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत मसिदूई/नि/लखनऊ मई/मुख्या० /इज्जत०

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

- यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम) (पी०आर०श्रीवास्तव)
मसिदूई/नि/लखनऊ मई/मुख्या0/इज्जत0

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 229A/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

(i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये पहले छोटी / बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400/600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800/1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400/600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर— भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूई०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

मसिदूई/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 229A/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश -

2.1 संचालन पद्धति -

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए बूम लाकिंग लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। इसके बाद गेटमैन दिन में बाँये हाथ में सिमटी हुई हथ्थेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये। गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करना :-

1. गाड़ियों का प्रस्थान :-

- (i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
- (ii) यह सूचना प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
- (iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ करेगा।
- (iv) **स्टेशन मास्टर -भोजीपुरा** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिगनल आफ करेगा/ प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के लोको पायलट को देगा।
- (v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

2. गाड़ियों का आगमन :-

- (i) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** किसी गाड़ी का लाइन **स्टेशन मास्टर-दोहना/इज्जतनगर** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।
- (ii) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके अपनी गोपनीय संख्या **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को देगा।
- (iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा**, **स्टेशन मास्टर-दोहना/इज्जतनगर** को गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।
- (v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेंगे -
स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेंगे -

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई०/इज्जतनगर	म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत	मसिदूई/नि/लखनऊ	मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229A/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मा० द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना (एम०जी० गाड़ियों के लिये) / इज्जतनगर (बी०जी० गाड़ियों के लिये)** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट के तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
- लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक हैं' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक हैं' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूइ०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

(बालक राम)
मसिदूइ०/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)
मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 229A/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

- 6 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 8 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिखायेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी **इज्जतनगर** के तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना (एम०जी० गाड़ियों के लिये) / इज्जतनगर (बी०जी० गाड़ियों के लिये)** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब **एम०जी० अथवा बी०जी०** गाड़ियों के लिये क्रमशः कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना / इज्जतनगर** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 समपार फाटक पर अवरोध –

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)	(बालक राम)	(पी०आर०श्रीवास्तव)
मसिदूई०/इज्जतनगर	म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत	मसिदूई/नि/लखनऊ	मई/मुख्या० /इज्जत०

2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** ने एम0जी0 अथवा बी0जी0 गाड़ी के लिये कमशः **दोहना / इज्जतनगर** को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर- दोहना / इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** एम0जी0 के लिये कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना** को तथा बी0जी0 के लिये **स्टेशन मास्टर/ इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा**, एम0जी0 गाड़ियों के लिये **दोहना / बी0जी0 गाड़ियों के लिये इज्जतनगर** सभी गाड़ियों के चालकों को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
10. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को सूचित करेगा। तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** यही सूचना कार्यरत **स्टेशन मास्टर - दोहना / इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।
- 2.6 **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध -**

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूई०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जत

मसिदूई/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

परिशिष्ट – “क” IV

भोजीपुरा-दोहना के मध्य स्थित इंजी० गेट सं० 230 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश –

1. विवरण

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	230 / सी
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	से०ई०(रेल पथ)/इज्जतनगर
4	किलोमीटर पर स्थित	303 /1-2
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा-दोहना (एम०जी०) भोजीपुरा-इज्जतनगर (बी०जी०)
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी० तथा एम०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	नान-इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	..
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	--
(ii)	डाउन साइड	----
13	संकेतन व्यवस्था	
14	संचार साधन टेलीफोन / घन्टी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा से सम्बद्ध
15	समपार फाटक की चौड़ाई	4.85 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	मनेरा विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल रोड एवं खंजनपुर
20	सड़क की चौड़ाई	3.60 मीटर
21	सड़क का क्रॉसिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	90°
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90°
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	समतल
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	समतल
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा

(अतुल सिंह)

मसिदूई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.31 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	पक्का
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	एस0बी0
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	8364 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	समग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	05
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	04
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	छुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चैन व पैड लाक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूई०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के एम0जी0/बीजी दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(अतुल सिंह)

मसिदूई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 230/C
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन **एम०जी०/बी०जी०** गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही **एम०जी०/बी०जी०** गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या०/इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 230/C
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट /गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपात कालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह **एम0जी0/बी0जी0** लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन **एम0जी0 /बी0जी0** लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या0 /इज्जत0

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 230/C
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

- (ii) इसके पश्चात **एम०जी०/बी०जी०** लाइन पर उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये पहले छोटी / बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400/600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800/1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400/600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा। क्योंकि इस समपार पर **दोहना-भोजीपुरा** के मध्य छोटा लाइन/बड़ी लाइन है। इसलिए पहले गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि अवरोध या बाधा से कोई एक लाइन बाधित है या दोनो। यदि एक ही लाइन बाधित हो रही है तो वह केवल बाधित लाइन का ही बचाव करेगा परन्तु यदि दोनो लाइने बाधित हो रही है तो वह सर्व प्रथम उस लाइन का बचाव करेगा जिस पर पहले गाड़ी आने वाली की सम्भावना है तदोपरान्त वह दूसरी लाइन का बचाव करेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन **स्टेशन मास्टर— भोजीपुरा** अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)	(के०एस०सोनाल)	(बालक राम)	(नानक चन्द)
मसिदूई०/इज्जतनगर	म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर	मसिदूई/नि/लखनऊ	मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46
जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियर को संचालित करने के लिए एक विंच की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाय। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए विंच में लगी 'ई' प्रकार की चाबी धुमाकर निकाल लेगा। यह चाबी बूम लाकिंग लीवर में लगाकर धुमायेगा और बूम लाक लीवर को रिवर्स करेगा जिससे बूम क्षैतिजीय स्थिति में लाक हो जायेगा। बूम लाक रिवर्स करने के बाद 'ई' प्रकार की चाबी निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा। करेगा इसके बाद गेटमैन दिन में बाँये हाथ में सिमटी हुई हथ्येदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिग्नल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए पहले चाबी लाक लीवर में धुमायेगा और बूम लाकिंग लीवर को सामान्य स्थिति में करेगा फिर उससे चाबी निकालकर विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर ठीक लम्बवत ऊपर खड़ा न हो जाये।

समपार फाटक को गाड़ी के सम्भावित आगमन से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करना :-

1. गाड़ियों का प्रस्थान :-

- (i) कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
- (ii) यह सूचना प्रस्थान सिग्नल आफ करने से पहले / प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
- (iii) गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाशित करेगा और इसकी पुष्टि **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के साथ करेगा।
- (iv) **स्टेशन मास्टर –भोजीपुरा** गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान सिग्नल आफ करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)
मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाय तथा गेट मैन् TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

2. गाड़ियों का आगमन :-

- (i) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा एम0जी0** गाड़ी का लाइन क्लीयर **स्टेशन मास्टर-दोहना** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण, एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा **कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** किसी **बी0जी0** गाड़ी का लाइन क्लीयर कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
- (ii) **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत देगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके अपनी गोपनीय संख्या **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को देगा।
- (iv) गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर बी0जी** तथा **स्टेशन मास्टर/दोहना एम0जी0** को किसी गाड़ी का लाइन क्लीयर देगा।
- (v) इस प्रकार एक बार एम0जी0/बी0जी0 गाड़ी के लिये बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि वह गाड़ी समपार से सुरक्षित पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गयी है।

नोट - स्टेशन मास्टर तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेंगे -
स्टेशन मास्टर की लॉग बुक (एम0जी0) :-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेमा0 द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक (एम0जी0)

तिथि	गाड़ी सं०	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल) (बालक राम) (नानक चन्द)
मसिदूई०/इज्जतनगर म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक (बी०जी०):-

तिथि	गाड़ी सं०	स्टेशन मा० द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक (बी०जी०)

तिथि	गाड़ी सं०	गेट से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा निम्नलिखित कार्यवाही करेगा-

1. एम०जी० की डाउन गाड़ी के लिए प्रस्थान सिगनल आफ करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा डाउन गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
2. बी०जी० की डाउन गाड़ी के लिए प्रस्थान सिगनल आफ करने से पूर्व स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा डाउन गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
3. जारी किये गये काशन आर्डर में लोको पायलट को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देश जायेगा।
4. लोको पायलट को कार्यरत गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक हैं' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक हैं' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
5. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना (एम०जी० गाड़ियों के लिये) / इज्जतनगर (बी०जी० गाड़ियों के लिये) को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
6. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

- 7 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 8 कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 9 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में **एम०जी०/बी०जी०** लाइन पर लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी **दोहना** की तरफ से आनी वाली तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना (एम०जी० गाड़ियों के लिये) / इज्जतनगर (बी०जी० गाड़ियों के लिये)** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करे तब **एम०जी० अथवा बी०जी०** गाड़ियों के लिये क्रमशः कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना / इज्जतनगर** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** इंजीनियरिंग विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)
मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इंजीनियरिंग विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 समपार फाटक पर अवरोध –

- यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।
- इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
गेट मैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को यदि प्रस्थान सिगनल किसी ट्रेन के लिये आफ किया गया हो तो उसको आन करने के लिये सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** ने एम0जी0 अथवा बी0जी0 गाड़ी के लिये क्रमशः **दोहना / इज्जतनगर** को लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर- दोहना / इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना/भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- गेटमैन पटाखा फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर टार्च तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
- तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
- गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** एम0जी0 के लिये कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना** को तथा बी0जी0 के लिये **स्टेशन मास्टर/ इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लॉक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
- रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** को सूचित करेगा।
- तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा**, एम0जी0 गाड़ियों के लिये **दोहना / बी0जी0 गाड़ियों के लिये इज्जतनगर** सभी गाड़ियों के चालकों को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(नानक चन्द)

मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 230/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियो को दिरवायेगा।
12. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** जिम्मेदार इंजीनियरिंग स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इंजीनियरिंग स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ भोजीपुरा** मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द ररवेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाय।

.....

(अतुल सिंह)
मसिदूई०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(पी०आर०श्रीवास्तव)
मई/मुख्या० /इज्जत०

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि परिशिष्ट – “क-IV”

भोजीपुरा-दोहना के मध्य स्थित इंजी० गेट सं० 231 श्रेणी “सी” के संचालन हेतु अनुदेश(बी०जी०) –

1. विवरण

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संख्या	231 / सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	304 / 2-3
5	स्टेशन	भोजीपुरा
6	स्टेशन मध्य	भोजीपुरा –इज्जतनगर
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी० जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड/नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनल बी०जी० से इन्टरलाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	बी०जी० के लिए
(i)	अप साइड	304/0-1
(ii)	अप डिस्टेन्ट	303/0-1
(iii)	डाउन साइड	304/6—7
(iv)	डाउन डिस्टेन्ट	305/6-7
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घंटी	स्टेमा०/भोजीपुरा के सम्बद्ध (बी०जी०)
15	समपार फाटक की चौड़ाई	3.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	दोहना विलेज रोड
18	पक्का / कच्चा	हेक्सागोनल ब्लॉक
19	पहुँच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	3.50 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	गोलाई
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.30 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	हेक्सागोनल ब्लॉक
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	3.50 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	3060 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मसिदूई/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

34	गेटमैनो की संख्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	इज्जतनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	S.R.M.S.भोजीपुरा
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हाँ / नहीं	हाँ

1.2 उपकरण —

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)	02(K.oil)
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	लाल बैनर फ्लैग	03
5.	लाल बत्ती लगाने हेतु पोस्ट	02
6.	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	लाल फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेलचा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिट्टी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दौये हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है। गेट संख्या 231/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (ii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (iv) गेट मैन समपार फाटक पर आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी बी०जी० ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे-हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही बी०जी० गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा-

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर **स्टेशन मास्टर/दोहना** को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह **बी०जी०** लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी **स्टेशन मास्टर** कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 **गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

(अ) **इकहरी लाइन पर**

- (i) गेट मैन **बी०जी०** लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च दिखाते हुये बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा। क्योंकि इस समपार पर **दोहना-भोजीपुरा** के मध्य छोटा लाइन/बड़ी लाइन है। इसलिए पहले गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि अवरोध या बाधा से कोई एक लाइन बाधित है या दोनो। यदि एक ही लाइन बाधित हो रही है तो वह केवल बाधित लाइन का ही बचाव करेगा परन्तु यदि दोनो लाइने बाधित हो रही है तो वह सर्व प्रथम उस लाइन का बचाव करेगा जिस पर पहले गाड़ी आने वाली की सम्भावना है तदोपरान्त वह दूसरी लाइन का बचाव करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मसिदूई०/इज्जतनगर

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

भोजीपुरा

जारी तिथि

लागू तिथि

- (v) इसके बाद उसी प्रकार जैसा कमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्लैशिंग ट्राई कलर टार्च जलाकर लगा देगा जिससे लोको पायलट सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राई कलर टार्च दिखाकर रोकेगा/सचेत करेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर/दोहना को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी पी-1 को निकाल लेगा उसके बाद बूम लाक लीवर में 'ई' प्रकार के लाक में चाबी पी-1 लगाकर घुमा देने के बाद बूम लॉकिंग लीवर रिवर्स करेगा उसके बाद बूम लाकिंग में पहले से लगी 'ई' प्रकार के लाक से चाबी 'पी' को निकाल लेगा जो बूम लाक करेगा। चाबी 'पी' बूम लाक लीवर से निकलने के बाद इसे गेट लॉज में लगे 3वें लाक अप बाक्स में लगाकर घुमायेगा जिससे चाबी 'क्यू' व चाबी 'आर' रिलीज होंगी।

- 2.1.1 **बड़ी लाइन** की गाड़ी के लिए उपरोक्त विधि से बन्द करने के उपरान्त 3वें लाक अप बाक्स से चाबी 'आर' को निकाल कर गेट लाज में लगे **KLCR** में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे गेट पैनल पर गेट बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इन्टीकेशन मिलेगा। समपार के गेट सिगनलो को आफ करने के लिए गेट लाज में 3 स्थितियों वाला एक कन्ट्रोल स्विच लगा है जो सामान्य स्थिति के मध्य (एन पोजीशन) में रहता है। गेटमैन अप गेट सिगनल संख्या **1एल** को आफ करने के लिए स्विच को **1एल** पोजीशन में तथा डाउन गेट सिगनल संख्या **1आर** को आफ करने के लिए स्विच को **1आर** पोजीशन में धुमाया जायेगा।

(अतुल सिंह)

मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

म० परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

गाड़ी पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन बी०जी० के लिए आफ किये गये सिगनल को आन कर देगा तथा गाड़ी के स्टेशन पर आकर पूर्णरूपेण रुक जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच 'आर' स्थिति में कर देगा। तब गेटमैन को के०एल०सी०आर० से चाबी प्राप्त करके समपार खोलने की प्रक्रिया करेगा। समपार गेट लाज में प्रदत्त लीवर लाक/के०एल०सी०आर पर लाक फ्री इन्डीकेशन मिलने के बाद गेट मैन चाबी 'क्यू' या चाबी 'आर' को लीवर लाक/गेटमैन के०एल०सी०आर से एन्टी-क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। लीवर लाक से निकली चाबी को लाकअप बाक्स में लगाकर चाबी 'पी' निकालकर बूम लाक लीवर को नार्मल करके चाबी 'आर-1' निकाल लेगा तत्पश्चात लीवर से चाबी 'पी-1' निकाल कर विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को तब तक खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

1 बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए-

कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा बड़ी लाइन की गाड़ी को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी गाड़ी के लिये प्रस्थान आदेश देने से पूर्व कार्यरत गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

(क) बी०जी० गाड़ियों के लिए गेटमैन/स्टैमा० इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक (बी०जी०):-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक (बी०जी०)

तिथि	गाड़ी सं०	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय/समपारखोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

3. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

4. इसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा आगमन / प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्धई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

5. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
6. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

1. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
2. बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए गेट सिगनल 'आन' है तो ड्राइवर गेट सिगनल गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
3. बी०जी० गाड़ियों के मामले में **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है तब गाड़ी भेजने वाला स्टेशन मास्टर गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेटमैन को भी गैंग मैन्/पेट्रोल मैन्/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
7. इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्धई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

- जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिये सेफ्टी चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब बड़ी लाइन की का संचालन **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को करना हो तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान के अन्तर्गत गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करने के लि कहेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- बड़ी लाइन के लिए लोको पायलट को गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा तथा गेटमैन के हाथ संकेत को देखते हुए आगे बढ़ेगा।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

- जब गेट की बन्द स्थिति में लीवर लाक से चाबी न निकाली जा सके इस परिस्थिति में गेट को नान इन्टरलाक गेट समझना चाहिए और उसी अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- कार्यरत **स्टेशन मास्टर-दोहना**, **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तब कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा** गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेट मैन के हाथ सिगनल का का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लिए कार्यरत **स्टेशन मास्टर-दोहना** सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

भोजीपुरा

लागू तिथि

4. कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा बड़ी** लाइन की गाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर को प्राइवेट नम्बर के साथ आदान प्रदान क अर्न्तगत संदेश देगा कि वह गेट तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सर्तकता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सर्तकतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य स्थिति केवल एस० एण्ड टी स्टाफ के मरम्मत के बाद रिक्नेक्शन /फिट मेमो देने बाद ही होगी।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट की चाबी गेट की खुली दशा में या गेट सिगनल लीवर बाहर निकाल ली जायए तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. तब बी०जी० गाड़ियों के लिए कार्यरत **स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान के अर्न्तगत संदेश देगा कि गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को काशन आर्डर जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सर्तकता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
5. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा** दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 गेट सिगनल की विफलता :-

1. गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।
 - (ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।
2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर-**भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
4. उसके बाद गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।
5. गेटमैन गेट को चेन एवं ताले से बन्द करने के बाद दिन में हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सर्तकता आदेश जारी करना चाहिए।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिद्दूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्वी सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

भोजीपुरा

लागू तिथि

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**भोजीपुरा** स्टेशन मास्टर -**इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। चालक सहायक नियम 3.73 के प्रावधानों का पालन करते हुए समपार को पार करेगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 समपार फाटक पर अवरोध -

यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा जिसकी निम्नवत विधि है-

1. बी०जी० में समपार दोनों तरफ आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्टो पर दिन में लाल वैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ आगे बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित है, तथा रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेंगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** कार्यरत स्टेशन मास्टर/**इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
8. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** को सूचित करेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

(बालक राम)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

गेट संख्या 231/C

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

जारी तिथि

लागू तिथि

भोजीपुरा

9. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
10. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियो को दिरवायेगा।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**दोहना** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
12. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध —

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा एवं इज्जतनगर** मद संख्या 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

.....

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)

मसिदूई/नि/लखनऊ

परिशिष्ट 'ख'

भोजीपुरा स्टेशन पर प्रदत्त संकेतन एवं अन्तर्पाशन उपस्करों के केन्द्रीय संचालन हेतु अनुदेश

1. प्रमुख विशेषताएं :-

- 1.1 नियमांश संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2011/आर०डी०/9 Alt 'A' दिनांक 18.9.12
- 1.2 संकेतन आरेख संख्या – NER/IZN/BPR/SIP/2011/VER-ZERO/9 Alt 'C'
- 1.3 पैनल आरेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2012/पी०डी०/10 Alt 'A' दिनांक 18.9.12
- 1.4 स्टेशन की श्रेणी – बी
- 1.5 संकेतन का मानक – एम०जी० मानक-III, बी०जी० मानक –III
- 1.6 संकेतन का प्रकार – बहुसंकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था
- 1.7 खण्ड का कार्य संचालन (Block Working)
 - 1.7.1 भोजीपुरा- दोहना स्टेशनों के मध्य असहकारी टोकेनलैस ब्लाक उपकरण
 - 1.7.2 भोजीपुरा – देवरनिया स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप सहकारी टोकेन लैस उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ
 - 1.7.3 भोजीपुरा – सेथल स्टेशनों के मध्य टोकेन बाल उपकरण
 - 1.7.4 भोजीपुरा- इज्जतनगर स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ

2. काँटों तथा सिगनलों का विवरण

यार्ड में निम्नलिखित सिगनल व काँटें प्रदत्त हैं। सिगनल कलर लाइट तथा विद्युत से प्रकाशित होते हैं। सभी काँटे मोटर चालित हैं। सभी काँटें तथा सिगनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल से प्रचालित होते हैं।

2.1 यार्ड का देवरनिया छोर (बी०जी०) :-

2.1.1 काँटें :-

- (i) स्विच संख्या 201 द्वारा नियन्त्रित डायमण्ड काँटा संख्या 201A-201B से बी०जी० लाइन संख्या 2 के लिये सैट की जाती है।
- (ii) स्विच संख्या 202 द्वारा नियन्त्रित काँटा संख्या 202A-202B से बी०जी० लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।

2.1.2 सिगनल :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल सं० ए-1 डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 1 दो जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरण निम्न है –
डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 2 के लिये इंडिकेटर सहित
डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 1 के लिये इंडिकेटर सहित
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 4 लूप लाइन संख्या 2 के लिये
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 6 लूप लाइन संख्या 1 के लिये
- (v) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2

(के०.एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

2.1.3 यार्ड का सेथल छोर (एम0जी0) :-**2.1.3.1 काँटें :-**

- (i) स्विच संख्या 206 द्वारा नियन्त्रित कौंटा संख्या 206A-206B से लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।

2.1.2 सिगनल :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल सं0 ए-41 डाउन होम सिगनल संख्या एस-41 के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 41 दो जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरण निम्न है –
डाउन होम सिगनल संख्या एस-41 में लाइन संख्या 2 के लिये जं0 इंडिकेटर रहित
डाउन होम सिगनल संख्या एस-41 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं0 इंडिकेटर सहित
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 44 में लाइन संख्या 2 के लिये
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 46 लूप लाइन संख्या 1 के लिये
- (v) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 42

2.2 यार्ड का दोहना छोर (बी0जी0/एम0जी0) :-**2.2.1 काँटें :-**

- (i) स्विच संख्या 203 द्वारा नियन्त्रित कौंटा संख्या 203A-203B से बी0जी0 लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।
- (ii) स्विच संख्या 208 द्वारा नियन्त्रित कौंटा संख्या 208A-208B से एम0जी0 लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।
- (iii) स्विच संख्या 207 द्वारा नियन्त्रित कौंटा संख्या 207 से एम0जी0 लाइन संख्या 2 से सैण्ड हम्प एवं सैण्ड हम्प से में लाइन सैट की जाती है।

2.2.2 सिगनल :-**(ए) बी0जी0 –**

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल सं0 ए-12 अप होम सिगनल संख्या एस-12 के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 12 दो जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरण निम्न है –
अप होम सिगनल संख्या एस-12 में लाइन संख्या 2 के लिये जं0 इंडिकेटर रहित
अप होम सिगनल संख्या एस-12 लूप लाइन संख्या 1 के लिये बॉया जं0 इंडिकेटर सहित
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 5 में लाइन संख्या 2 के लिये
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 7 लूप लाइन संख्या 1 के लिये
- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11

(बी) एम0जी0 –

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल सं0 ए-50 अप होम सिगनल संख्या एस-50 के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 50 दो जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरण निम्न है –
अप होम सिगनल संख्या एस-50 में लाइन संख्या 2 के लिये जं0 इंडिकेटर रहित
अप होम सिगनल संख्या एस-50 लूप लाइन संख्या 1 के लिये बॉया जं0 इंडिकेटर सहित

- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 45 मेन लाइन संख्या 2 के लिये
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 47 लूप लाइन संख्या 1 के लिये
- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 49

2.3 अतिरिक्त सिगनल (बी०जी०) :-

(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10	अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। इज्जतनगर साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह देवरनिया साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है

(ii) शन्ट सिगनल :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से देवरनिया छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से देवरनिया छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से इज्जतनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से इज्जतनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण	
एस एच 31	देवरनिया छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु	
एस एच 32	इज्जतनगर छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु	

2.3.1 अतिरिक्त सिगनल (एम०जी०) :-

(i) कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-48	अप होम सिगनल संख्या एस-50 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह दोहना साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-43	डाउन होम सिगनल संख्या एस-41 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह सेथल साइड से लाइन सं० 1, अथवा 2 में आने के लिये है

(ii) **शन्ट सिगनल :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 64	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 44	लाइन सं० 2 से सेथल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 तक शंटिंग के लिये
एस एच 66	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 46	लाइन सं० 1 से सेथल छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 42 तक शंटिंग के लिये
एस एच 65	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 45	लाइन सं० 2 से दोहना छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 तक शंटिंग के लिये
एस एच 67	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 47	लाइन सं० 1 से दोहना छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 49 तक शंटिंग के लिये
अनाश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण	
एस एच 71	सेथल छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु	
एस एच 72	दोहना छोर पर लाइन सं० 1, या 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु	

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

3. **सिगनल आस्पैक्ट :-**

- 3.1 बी0जी0 एवं एम0जी0 में डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी मुख्य सिगनलों का नार्मल आस्पैक्ट लाल हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पैक्ट पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट का परिवर्तन उसके आगे स्थित होम सिगनल के आस्पैक्ट के अनुसार स्वतः हो जाता है। बी0जी0 एवं एम0जी0 में अप डिस्टेन्ट सिगनल का आस्पैक्ट एक पीला, दो पीला तथा हरा है। डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला, लूप लाइन संख्या 1 के लिये आफ होने पर दो पीला तथा मेन लाइन संख्या 2 के लिये आफ होने पर हरा जलता है।
- बी0जी0 एवं एम0 जी0 में डाउन डिस्टेन्ट सिगनल का आस्पैक्ट एक पीला, तथा दो पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला, लूप लाइन एवं मेन लाइन के लिये आफ होने पर दो पीला जलता है। स्टेशन मास्टर पैनल पर दोनों साइड के डिस्टेन्ट सिगनलों के लिये कोई अलग से स्विच नहीं है।
- 3.2 एडवॉस स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा होता है। एडवॉस स्टार्टर में हरे रंग का आस्पैक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं तथा सम्बन्धित ब्लाक यन्त्र से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
- 3.3 केवल डाउन मेन लाइन के स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा तथा लूप लाइन के स्टार्टरों का आफ आस्पैक्ट पीला है। किन्तु अप स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट पीला है। स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट सम्बन्धित एडवॉस स्टार्टर सिगनल के आफ आस्पैक्ट द्वारा नियन्त्रित हैं।
- 3.4 अप / डाउन होम सिगनल में दो आस्पैक्ट लाल, तथा पीला है जो रूट इंडिकेटर रहित अप / डाउन होम सिगनल को आफ करने पर केवल पीला आस्पैक्ट लाइन संख्या 2 पर आने का संकेत करता है। अप / डाउन होम सिगनल के पीले आस्पैक्ट के साथ-साथ रूट इंडिकेटर की सफेद बत्तियों का प्रकाश यह इंगित करता है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन संख्या 1 पर होगा।

- 3.5 बी0जी0 शन्ट सिगनल संख्या एसएच 31 एवं एसएच 32 तथा एम0जी0 शन्ट सिगनल सं0 एसएच 71 एवं एसएच 72 अनाश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं तथा अलग-अलग पोस्ट पर स्वतन्त्र रूप से लगे हैं। ये स्टेशन पैनल से अलग / अलग स्विचों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आन स्थिति में दो सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.6 बी0जी0 शन्ट सिगनल संख्या एस एच 24, एसएच 26, एस एच 25, एस एच 27, तथा एम0जी0 शन्ट सिगनल सं0 एस एच 64, एस एच 66 एसएच 65 एवं एस एच 67 आश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं जो स्टार्टर सिगनलो के नीचे उसी पोस्ट पर लगे हैं तथा स्टेशन पैनल से अलग / अलग स्विचों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। ये आन की स्थिति में नो लाइट तथा आफ की स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.7 कालिंग आन सिगनल का आन स्थिति में कोई आस्पैक्ट नहीं जलता है किन्तु आफ की स्थिति में एक छोटा पीला आस्पैक्ट जलता है।
- 3.8 यदि सम्बन्धित कॉटों की सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाय कि कॉटा सही सैट एवं लाक है।

4. स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिसमें स्विचों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनल आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। कॉटों एवं सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर एक साथ स्विचों को घुमाना एवं रूट पुश बटनों को दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त स्विच तथा पुश बटनों, इंडिकेशन चाबी आदि का विवरण निम्न है :-

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर एक पैनल, रिलीज / लाक चाबी के साथ लगा होता है जो पाइन्ट एवं सिगनल आदि का अनाधिकृत संचालन रोकता है। जब तक पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक पाइन्ट एवं सिगनलों का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। परन्तु SM's Key निकली होने पर भी अगर कोई भी सिगनल आफ है तो सिगनल स्विच के साथ घुमाने पर सिगनल को आफ स्थिति से आन स्थिति में किया जा सकता है। चाबी लगाकर घुमा देने के बाद पैनल पर लगे पुश बटनों एवं स्विचों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो, सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों एवं सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अन्तिम संचालित स्थिति में अनवरत प्रकाशित होंगे।

4.2 पुश बटन/ स्विच:- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों एवं स्विचों का प्रावधान है -

4.2.1 सिगनल / शन्ट सिगनल स्विच :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल एवं शन्ट सिगनल के लिये अलग-अलग स्विचों का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल / शन्ट सिगनल के निकट लगा है। सिगनल / शन्ट सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल / शन्ट सिगनल को आफ करना है उसका स्विच घुमाने तथा जिस लाइन पर गाड़ी लेना है अथवा भेजना है उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल / शन्ट सिगनल आफ हो जायेगा।

4.2.2 रूट बटन :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल स्विच घुमाने एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। जैसे कि बी0जी0. लूप लाइन संख्या 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस 12 को आफ करने के लिये पाइन्ट स्विच को चलाकर रूट सैट करने के बाद सिगनल स्विच संख्या एस 12 को घुमाने तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या 'बी' को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

इसी प्रकार बी0जी0 के अप एडवॉस स्टार्टर संख्या एस 2 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल स्विच संख्या एस 2 को तथा रूट बटन संख्या 'ई' को एक साथ घुमाने / दबाने पर अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल आफ हो जायेगा।

इसी प्रकार एम0जी0 लूप लाइन संख्या 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस 50 को आफ करने के लिये कॉटा स्विच को चलाकर रूट सैट करने के बाद सिगनल स्विच संख्या एस 50 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या 'के' को एक साथ घुमाने / दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा। इसी प्रकार अप एडवॉस स्टार्टर संख्या एस 42 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल स्विच संख्या एस 42 तथा रूट बटन संख्या 'एल' को एक साथ घुमाने / दबाने पर अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.2.3 कॉटा स्विच :-

पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटों के लिये उसका स्विच दिया गया है। कॉटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटों का स्विच नार्मल की तरफ घुमाना होगा। इसी प्रकार कॉटों को रिवर्स स्थिति में करने के लिये उस कॉटों का स्विच रिवर्स की तरफ घुमाना होगा। कॉटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिये एवं गाड़ी आगमन के बाद कॉटों को नार्मल / रिवर्स करने के लिये तथा सिगनल पर गाड़ी लेने के लिये रूट सैट करने के लिये किया जायेगा।

4.2.4 क्रेन्क हैण्डिल, साइडिंग एवं गेट नियन्त्रण स्विच :-

बी0जी0 के लिये क्रेन्क हैण्डिल सीएच-1, सीएच-2 एवं सी एच-3 तथा एम0जी0 के लिये क्रेन्क हैण्डिल सीएच-4, सीएच-5 एवं सी एच-6 गेट संख्या 228/C, 229/C व 1/C के नियन्त्रण हेतु अलग-अलग स्विच रिलीज / लाक का प्रावधान है। स्विच रिलीज / लाक क्रेन्क हैण्डिल / गेट लाक तथा स्विच रिलीज / लाक रिलीज होता है।

4.2.5 ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन (आपात कालीन रूट निरस्तीकरण बटन) :-

जब सिगनल को आफ कर दिया गया हों, और यदि आपात काल में वॉछित मार्ग को कैंसिल करना है तो सम्बन्धित सिगनल को नार्मल स्थिति में घुमाया जायेगा और सम्बन्धित EUYN बटन को दबाने पर आपात कालीन निरस्तीकरण काउन्टर के पास एक छोटी सफेद बत्ती जल उठेगी। इस प्रकार का निरस्तीकरण होने पर वीडर काउन्टर हर बार एक उच्च संख्या को दर्ज करेगा। लगभग 120 सेकेण्ड बीतने के बाद छोटा प्रकाश बुझ जायेगा और पैनल पर दिखायी देने वाला सम्बन्धित मार्ग भी दिखायी देना बन्द हो जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की रीडिंग इस उद्देश्य के लिये बनायी गयी पंजिका में अवश्य दर्ज की जाये।

4.2.6 गेट नियन्त्रण स्विच संख्या 'आर', 'पी', 'क्यू' गेट सं0 228/C, 1/C एवं 229/C के लिये :-

(क) स्टेशन पैनल पर समपार फाटक संख्या 228ए 229ए एवं 1/C के नियन्त्रण हेतु क्रमशः 'आर', 'क्यू' तथा 'पी' स्विचों का प्रावधान है। रिलीज स्थिति में गेट खुला रहता है तथा लाल छोटी बत्ती जलती है। गेट बन्द एवं लाक स्थिति में गेट के बन्द एवं लाक होने पर सफेद बत्ती जलती है। स्विच को रिलीज स्थिति के ऊपर एक छोटा लाल प्रकाश तथा स्थिति लाक के ऊपर एक सफेद प्रकाश दिया है। समपार फाटकों पर गाड़ी के संचालन के लिये सम्बन्धित स्विच को फाटक बन्द करने के लिये आदेश देने के बाद लाक स्थिति में कर देते हैं। जब सम्बन्धित चाबी गेट में लगे विद्युत लीवर लाक में 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमायी जाती है, तो स्विच की लाक स्थिति के ऊपर एक छोटा सफेद प्रकाश जल जाता है जिससे यह मालूम होता है कि गेट बन्द एवं लाक है। इसके साथ ही लाल प्रकाश बुझ जाता है।

4.2.6 गेट संख्या 228/C, 1/C एवं 229/C के लिये आपात कालीन चाबी :-

- (ख) समपार फाटक संख्या 228/C, 1/C एवं 229/C पर विद्युतीय नियन्त्रण की विफलता के समय समपार फाटकों को खोलने के लिये आपात कालीन चाबी क्रमशः 'आर ई', 'पी ई' तथा 'क्यू ई' का प्रावधान है। ये चाबियाँ स्टेशन मास्टर कार्यालय के पैनल रूम में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी पार्किंग एच0के0टी0 में लगी रहती है। आपात कालीन चाबी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिये परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है। इस चाबी के निकालने से आवागमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो जाते / रहते हैं। विफलता ठीक हो जाने पर ये चाबी पुनः पार्किंग एच0के0टी0 में लगा दी जाती हैं तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बन्द कर दिया जाता है।

4.3 ट्रैक सर्किट सूचक सूक्ष्म प्रकाश बत्ती :-

परिचालित लाइनों पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के लिये पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर सफेद एवं लाल छोटी बत्तियों का प्रावधान है जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने / खाली होने पर प्रकाशित नहीं होती हैं। जब कोई सिगनल 'आफ' किया जाता है तब उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद छोटी बत्तियाँ प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर आती है तब छोटी बत्तियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझ जाता है तथा सफेद प्रकाश जल जाता है।

ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये छोटी बत्तियाँ लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। इस स्टेशन पर दोनों ओर होम सिगनल से होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल तक ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गयी है।

टिप्पणी :-गाड़ी ट्रैक पर आने के बाद यदि लाल छोटी बत्तियाँ प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है। तब इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद छोटी बत्ती का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को क्रियाशील समझा जाये। तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

4.4 एक्सल काउन्टर का विवरण एवं कार्य प्रणाली :-

- 4.4.1 डिजिटल एक्सल काउन्टर एक ट्रैक सर्किटिंग उपकरण है जिसका उपयोग रेलवे में किसी रेल खण्ड के आक्यूपाइड / अन-आक्यूपाइड का मानिटर करने के लिये होता है। यह किसी निर्धारित रेल खण्ड पर गाड़ी की उपस्थिति को सूचित करता है। डिजिटल एक्सल काउन्टर के निम्नलिखित भाग हैं -

- (I) एक्सल काउन्टर
- (क) टी0 एक्स0 क्वाइल - 2 नम्बर
- (ख) आर0एक्स0 क्वाइल - 2 नम्बर
- (II) एस0एस0डी0ए0सी0 - 2 नम्बर
- (III) री-सैट बाक्स - 2 नम्बर

डिजिटल एक्सल काउन्टर दो यूनिट (1 जोड़ा) के संयोग से एक रेल खण्ड में कार्य करता है। इस कार्य प्रणाली का एक एस0एस0डी0ए0सी0 यूनिट खण्ड के दोनों छोर पर एक सैट टी0 एक्स0 क्वाइल एवं आर0एक्स0 क्वाइल एक्सल काउन्टर के साथ स्थापित किया जाता है। टी0 एक्स0 एवं आर0एक्स0 क्वाइल प्रत्येक लोकेशन के रेल के वेब में माउन्ट किया जाता है। सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि रेल ट्रैक के बाहरी ओर स्थापित हो। सिस्टम दोनों यूनिट को एक पेयर के रूप में सिंगल रेल खण्ड को मानीटर करता है।

4.4.2 सिस्टम का मूल डिजाइन प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल की गणना पर आधारित है। यह प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल एवं कुल गणना को रजिस्टर करता है। यह संग्रह की हुई गणना दूसरे यूनिट को आधुनिक संचार द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त की जाती है। सिस्टम का प्रत्येक यूनिट स्वयं की गयी गणना एवं दूसरे यूनिट द्वारा की गयी गणना की तुलना तथा खण्ड की स्थिति का मूल्यांकन करता है। संचार में डिजिटल गणना, स्थिति एवं कोई त्रुटि नहीं क्लीयरेंस का निर्णय करती है। यदि गणना दोनों डिटैक्शन पाइन्ट पर समान रहती है तो ब्लाक सैक्शन क्लीयर हरा अन्यथा आक्यूपाईड लाल रंग के रूप में प्रदर्शित करता है।

4.5.3 **एस0 एम0 री-सैट बाक्स :-** एस0एम0 री-सैट बाक्स में निम्नलिखित संकेत दिये गये हैं –

- (i) ब्लाक सैक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश करने पर री-सैट बाक्स के ऊपर लाल इंडिकेशन (ब्लाक खण्ड आक्यूपाईड) जलने लगता है। यह लाल इंडिकेशन एक्सल काउन्टर की विफलता में भी प्रकाशित होता है।
- (ii) ब्लाक सैक्शन साफ रहने पर हरा इंडिकेशन (ब्लाक सैक्शन क्लीयर) जलता है।
- (iii) प्रीपेरेटरी री-सैट – हरा
- (iv) पावर आन – पीला
- (v) एस0एम0 चाबी एवं री-सैट हेतु री-सैटिंग बटन
- (v) री-सैट की गणना हेतु गणक

नोट :- 1. एक्सल काउन्टर की विफलता से सम्बन्धित ब्लाक उपकरण किसी भी गाड़ी के आगमन के पश्चात लाइन क्लोज्ड स्थिति में नहीं किया जा सकता।

2. री-सैट प्रक्रिया करने से पूर्व आने वाली गाड़ी का पूर्ण आगमन स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से अवश्य सुनिश्चित कर लें।

4.4.4 **री-सैट करने की प्रक्रिया :-**

1. री-सैट की विधि निम्न प्रकार है—
 - (क) सर्वप्रथम एस0एम0 चाबी को दाहिने तरफ घुमाएं
 - (ख) साथ-साथ री-सैट बटन दबायें।
 - (ग) री-सैट बटन एवं एस0एम0 चाबी को एक साथ रिलीज कर दें।
 - (घ) एस0 एम0 चाबी को बाँये तरफ घुमाकर निकालकर स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रख लिया जाय।
2. उपरोक्त मद संख्या (क) (ख) प्रक्रिया में री-सैट बाक्स, एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट किया जाता है और अपना गणना शून्य होकर दोनों यूनिट में स्वयं जॉच प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट होने की प्रक्रिया प्राप्त करती है जिससे प्रीपेरेटरी री-सैट का एक हरा इंडिकेशन जलने लगता है।
3. री-सैट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक ट्रेन को पी0 एल0 सी0 पर खण्ड में गुजरने की प्रक्रिया की जायेगी। ट्रेन के अगल स्टेशन पहुँचने पर ब्लाक खण्ड स्वतः क्लीयर हा जायेगा एवं री-सैट पैनल पर ब्लाक खण्ड क्लीयर होने का हरा इंडिकेशन जलने लगता है।
4. री-सैट होने के बाद वीडर काउन्टर एक उच्च संख्या लगभग 5 सेकेण्ड के अन्तराल पर दर्ज करेगा एवं गणक की संख्या को रिकार्ड किया जायेगा।

4.4.5 एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

- (i) उपरोक्त पैरा 4.5.4 में दी गयी री-सेटिंग की प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (ii) यदि दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा री-सेट करने के बाद एवं खण्ड में पहली गाड़ी पी0 एल0 सी0 पर गुजर जाने के बाद भी एक्सल काउन्टर लाल प्रदर्शित करता है तो निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (क) एक्सल काउन्टर की विफलता यदि 4 घन्टें से अधिक समय तक बनी हुई है तो सैक्शन इंजी0 सिगनल को जॉच स्वयं करके एक्सल काउन्टर का डिस्कनेक्शन मीमों एस0 एण्ड टी0 / डी0एन0 एनेक्सर-2 जारी करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- (ख) दोनों छोर पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है / गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है।
- (ग) ऐसा सुनिश्चित हो जाने के बाद एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर से इस आशय का मीमों प्राप्त होने पर जे0 ई0 अथ्सवा सी0से0 ई0 – सिगनल स्वयं व्यवस्था करेंगे कि टोकेनलैस की कार्य प्रणाली (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) कार्यरत रहे।
- (घ) उपरोक्त (क) में अंकित विफलता के दौरान एवं टोकेनलैस के ठीक होने तक (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) खण्ड में दोनों छोर से पी0 एल0 सी0 जारी रहेगी।
- (ङ) उपरोक्त स्थिति में सामान्य नियम 8.03 (2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सिगनल एवं मार्ग संकेत इंडिकेशन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल द्वारा दर्शायी गयी। ये इंडिकेशन सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पैक्ट के अनुरूप लाल / हरे / पीले रंग की लघु प्रकाश इंडिकेशन (सूचक बत्ती) दर्शाते हैं। होम सिगनल पर लगे रूट इंडिकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिये 'आफ' होना दर्शाती है। आश्रित शन्ट सिगनल जो स्टार्टर सिगनल के खम्बे पर स्थित है, उनके इंडिकेशन के लिये एक सफेद लघु प्रकाश 'आफ' स्थिति में 45 डिग्री कोण पर प्रकाशित होगा। अनाश्रित शन्ट सिगनल जो स्वतन्त्र खम्बे पर स्थित है, की 'आन' स्थिति में एक लघु प्रकाश इंडिकेशन तथा 'आफ' स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित होगा। कालिंग आन सिगनल के आस्पैक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे लघु पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है तब कालिंग आन सिगनल 'आफ' किया जाता है।

5.1 कॉटा इंडिकेशन :-

मोटर चालित कॉटों / कास ओवर कॉटों के संचालन हेतु दिये गये स्विच के ऊपर नार्मल स्थिति में सफेद तथा रिवर्स स्थिति में लघु हरा प्रकाश बत्ती का प्रावधान है। कॉटों / कास ओवर कॉटों की स्थिति के अनुसार ये इंडिकेशन अनवरत प्रकाशित रहेंगे।

नोट :- मोटर कॉटों पर नान-सिगनल मूवमेन्ट के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह मोटर कॉटे को नार्मल या रिवर्स में चलाकर उसकी जॉच कर ले तथा उनके सम्बन्धित इंडिकेशनों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इसकी जॉच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करे।

5.2 लाक लाइट इंडिकेशन :-

पैनल पर कॉटों के स्विच के मध्य में एक छोटी लाल बत्ती का प्रावधान है जिसके प्रकाशित होने का अर्थ है कि कॉटा विद्युतीय रूप से लाक है तथा संचालित नहीं किया जा सकता। यह छोटी लाल बत्ती लाक लाइट कहलाती है। जब यह छोटी लाल बत्ती जल रही हो तो कॉटों का संचालन नहीं करना चाहिए।

(के0.एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

5.3 पैनल लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी के ऊपर पैनल लाक / रिलीज के लिये लाल / सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। जब पैनल से चाबी निकालने हेतु घुमाया जाता है तब पैनल लाक का लाल इंडिकेशन प्रकाशित होता है तथा पैनल में चाबी लगाकर घुमा देने पर रिलीज का सफेद इंडिकेशन जलता है। पैनल के रिलीज स्थिति में पैनल द्वारा कॉटों तथा सिगनलो का संचालन सम्भव है।

5.4 कैन्क हैण्डिल , समपार फाटकों का लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

कैन्क हैण्डिल सी0 एच0 1, एच0 2, एच0 3, एच0 4, एच0 5 एवं सी0 एच0 6, तथा समपार फाटक सं0 228, 229 तथा 1/सी के लिये स्विचों का प्रावधान है जिनकी रिलीज स्थिति में लाल तथा लाक में सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है।

5.5 ओवरलैप इंडिकेशन :-

प्रत्येक स्टार्टर सिगनल के निकट ओवर लैप इंडिकेशन हेतु सफेद लघु बत्ती का प्रावधान है। जिस लाइन के लिये होम सिगनल 'आफ' किया जाता है, उसके ओवर लैप में यह लघु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है साथ ही ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद प्रकाश इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है। गाड़ी के बर्थिंग ट्रैक पर आगमन के पश्चात निर्धारित समयान्तराल तक यह इंडिकेशन जलता रहता है। इसके बुझ जाने पर ओवर लैप के कॉटों संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

5.6 120 एन जे के ई इंडिकेशन :-

पैनल पर दोनों छोरों पर एक-एक सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन या सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है। इसके बुझ जाने के बाद कॉटों प्रचालन हेतु मुक्त हो जायेगे।

6. रिमाइन्डर कालर :-

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल / काले रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा स्विच पर लगा देने से उन्हें घुमाया नहीं जा सकता। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इन स्विचों को संचालित नहीं करना है।

7. कैन्क हैण्डिल :-

- 7.1 मोटर चालित कॉटों की विफलता में अथवा टेस्टिंग हेतु कैन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर छः कैन्क हैण्डिल चाबी सी0 एच0 1, सीएच 2, सीएच 3, सीएच 4, सीएच 5 तथा सी0 एच0 6 का प्रावधान है। कैन्क हैण्डिल निकालने की विधि निम्न प्रकार है –
- (i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित कैन्क हैण्डिल स्विच को रिलीज की तरफ घुमाया जायेगा।
 - (ii) विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूरी होती हैं तो पैनल पर कैन्क हैण्डिल स्विच पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से कैन्क हैण्डिल नियन्त्रण चाबी को धीरे से घुमाकर निकाल लेंगे।

- (iii) इस परिशिष्ट के मद संख्या 7.3 में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जायेगा तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक स्विच को लाक की तरफ घुमाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेन्क हैण्डिल चाबी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

7.2 क्रेन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटे
सी0 एच0 1	201A - 201B, BG Diamond Point
सी0 एच0 2	202A - 202B, BG
सी0 एच0 3	203A - 203B, BG
सी0 एच0 4	206A - 206B, MG
सी0 एच0 5	207, MG
सी0 एच0 6	208A - 208B, MG

7.3 **कॉटा मशीन के आपात कालीन संचालन की प्रक्रिया :-**

जिन कॉटों पर मोटर कॉटा मशीन लगी है, उनका क्रेन्क हैण्डिल द्वारा संचालन करने की विधि निम्न प्रकार है –

- (क) सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.1 में वर्णित विधि के अनुसार क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालें। स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गयी मोटर पाइन्ट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियाँ एवं क्रेन्क हैण्डिल लेकर मोटर पाइन्ट मशीन पर जाये।
- (ख) मोटर पाइन्ट मशीन पर क्रेन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।
- (ग) ढक्कन को हटाकर चाबी लगाकर घुमा दें ताकि क्रेन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जाये। इस कार्यवाही से मोटर पाइन्ट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।
- (घ) क्रेन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमाएं। पाइन्ट स्विच के एक तरफ से दूसरे तरफ सैट हो जाने के बाद भी क्रेन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक पाइन्ट पूर्ण रूप से सैट होकर लाक न हो जाय।
- (ङ) कार्य पूर्ण होने के बाद क्रेन्क हैण्डिल को निकाल कर चाबी घुमाकर बाहर निकाल लें ताकि पाइन्ट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। ढक्कन में लगे ताले को बन्द कर दें। क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें।
- (च) पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल के स्विच को लाक स्थिति में घुमा दें जिससे ऊपर लगी हुई सफेद लघु बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। इस कार्यवाही से पाइन्ट मशीन पैनल द्वारा संचालन होने योग्य हो जायेगी।

नोट :- प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रेन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत सं०	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं सम	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (छ) सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिये क्रैंक हैण्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित पाइन्ट का डिस्कनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (ज) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से री-कनेक्शन मेमो क्रैंक हैण्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (झ) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का संचालन साधारण नियम 3.69 (1), (3) एवं सहायक नियम 3.70 (1), (2) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

8 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

- डाउन आपात्कालीन रूट कैंसिलेशन वीडर काउन्टर बी०जी० एवं एम०जी० के लिये अलग-अलग (EUYN)
 - अप आपात्कालीन रूट कैंसिलेशन वीडर काउन्टर बी०जी० एवं एम०जी० के लिये अलग-अलग (EUYN)
 - अप कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
 - डाउन कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
 - कालिंग आन सिगनल के लिये रूट रिलीज वीडर काउन्टर एम०जी० एवं बी०जी० अलग-अलग
 - क्रैंक हैण्डिल नियन्त्रण के लिये कामन वीडर काउन्टर बी०जी० एवं एम०जी० अलग-अलग
 - ब्लाक यंत्र वीडर काउन्टर बी०जी० (देवरनिया-इज्जतनगर) एवं एम०जी० (दोहना) के लिए अलग-अलग
 - एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर बी०जी० (देवरनिया-इज्जतनगर) के लिए अलग-अलग
- जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर गणक प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर गणक पर आती हैं। हर बार जब क्रैंक हैण्डिल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को पैरा 7.3 (च) के कालम संख्या 6 में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर गणकों द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर गणक रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाय।

8.1. शंटिंग चाबियों :-

स्टेशन मास्टर के कार्यालय में एम0जी0 में दोहना साइड तथा बी0जी0 में देवरनिया एवं इज्जतनगर साइड में शंटिंग चाबी प्रदत्त हैं। इन चाबियों की आवश्यकता एडवॉस स्टार्टर से आगे एवं विपरीत होम सिग्नल तक शंटिंग करने पर पड़ती है। टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र लाइन क्लोज्ड अथवा टीजीटी स्थिति में तथा सम्बन्धित आगमन व प्रस्थान सिग्नल आन पोजीशन में होने पर ही शंटिंग चाबी लीवर लाक से निकल सकेगी। शंटिंग चाबी के बाहर निकालने पर सम्बन्धित टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र लाक हो जायेगा। शंटिंग कार्य पूरा होने के बाद ड्राइवर शंटिंग चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंपेगा। शंटिंग चाबी को वापस लीवर लाक में लगाने पर ब्लाक यन्त्र संचालित होने की दशा में आ जायेगा।

9. गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान / कासिंग :-

- (i) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन की अनुमति है।
- (ii) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके कासिंग की अनुमति है। गाड़ियों का साथ-साथ आगमन एवं प्रस्थान निम्न प्रकार है :-
- (क) एम0जी0 अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन ,
और
एम0जी0 डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 पर आगमन
- (ख) बी0जी0 अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन (डैड एण्ड बनाकर)
तथा,
बी0जी0 अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान
या
बी0जी0 डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन (डैड एण्ड बनाकर)
और
बी0जी0 डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान

9.1 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :-

- (i) इस स्टेशन पर गाड़ियों को रन-थ्रू जाने की अनुमति नहीं है।
- (ii) डायमण्ड कॉटा संख्या 201A - 201B को बी0जी0 की गाड़ियों के आगमन अथवा प्रस्थान के लिये सैट कर दिये जाने के बाद एम0जी0 की अप गाड़ियों का प्रस्थान तथा डाउन गाड़ियों का आगमन नहीं किया जा सकता।

10. कॉटे, सिग्नल तथा रूट बटन के संचालन की तालिका :-

क्र०सं०	गड़ी संचालन	प्रचालित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	गेट बन्द करें
		नार्मल	रिवर्स			
1	अप गाड़ियों का इज्जतनगर से आगमन – बी० जी०					
(क)	लाइन सं० 1 पर डैड एण्ड बनाकर	202,	203	एस 12	बी	229
(ख)	लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर		201, 202, 203	एस 12, एस 6	बी, एफ	229, 1
(ग)	लाइन सं० 2 पर डैड एण्ड बनाकर आगमन	202, 203 201	201	एस 12	ए	229
(घ)	गाड़ी का लाइन सं० 2 मेन लाइन बनाकर आगमन	202, 203	201,	एस 12 एस 4	ए,, एफ	229, 1

1.1	अप गाड़ियों का दोहना से आगमन – एम0 जी0					
(क)	लाइन सं0 1 पर डैड एण्ड बनाकर	206,	208, 207	एस 50	के	229
(ख)	लाइन सं0 1 पर मेन लाइन बनाकर	201	206, 208, 207	एस 50, एस 46	के, एम	229,
(ग)	लाइन सं0 2 पर आगमन	201, 206, 207, 208		एस 50,	जे ,	229,
2	डाउन गाड़ियों का देवरनिया से आगमन– (बी0 जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 पर डैड एण्ड बनाकर	203,	202, 201	एस 1	बी	1
(ख)	लाइन सं0 1 पर मेन लाइन बनाकर		203, 202, 201	एस 7 एस 1	जी, बी,	1, 229
(ग)	लाइन सं0 2 पर आगमन	203, 202	.201	एस 1,	ए	1
2.1	डाउन गाड़ियों का सेथल से आगमन– (एम0 जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर	201, 208,	206,	एस 41	के,	228
(ख)	लाइन सं0 1 पर मेन लाइन बनाकर	201	208, 206,	एस 41 एस 47	के, एन	228,
(ग)	लाइन सं0 2 पर सैण्ड हम्प बनाकर	201, 206, 208	.207	एस 41,	जे	228
(घ)	गाड़ी का लाइन सं0 2 मेन लाइन बनाकर आगमन	201, 206 207, 208, 207		एस 41 एस 45	जे, एन	228,
3	अप गाड़ियों का देवरनिया को प्रस्थान– (बी0जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान		201, 202	एस 2, एस 6	ई, एफ,	1
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	202,	201	एस 2, एस 4	ई, एफ,	1
3.1	अप गाड़ियों का सेथल को प्रस्थान– (एम0जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान	201	206,	एस 42, एस 46	एल, एम	228
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	201, 206		एस 42, एस 44	एल, एम	228
4	डाउन गाड़ियों का इज्जतनगर को प्रस्थान – (बी0जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान		203	एस 11, एस 7,	एच, जी	229
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	203,		एस 11, एस 5,	एच, जी	229

4.1	डाउन गाड़ियों का दोहना को प्रस्थान – (एम0जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 से प्रस्थान		208, 207	एस 49, एस 47,	पी, एन	229
(ख)	लाइन सं0 2 से प्रस्थान	208, 207		एस 49, एस 45,	पी, एन	229
5	बी0 जी0 डाउन शन्ट सिगनल सं0 एस एच 31 से					
(क)	लाइन सं0 1 पर		201, 202	एस एच 31	बी	...
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	202,	201	एस एच 31	ए	1
5.1	एम0 जी0 डाउन शन्ट सिगनल सं0 एस एच 71 से					
(क)	लाइन सं0 1 पर	201,	206	एस एच 71	के	
(ख)	लाइन सं0 2 पर	201, 206	...	एस एच 71	ज	...
6	बी0 जी0 अप शन्ट सिगनल सं0 एस एच 32 से					
(क)	लाइन सं0 1 पर	...	203	एस एच 32	बी	229
(ख)	लाइन सं0 2 पर	203	..	एस एच 32	ए	229
6.1	एम0 जी0 अप शन्ट सिगनल सं0 एस एच 72 से					
(क)	लाइन सं0 1 पर		208,	एस एच 72	के	...
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	207, 208	..	एस एच 72	जे	..

(के0.एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

7	बी0 जी0 अप शन्ट देवरनिया की ओर					
(क)	लाइन सं0 1 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 26 से		201, 202	एस एच 26	एफ	1
(ख)	लाइन सं0 2 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 24 से	202	.201	एस एच 24	एफ	1
7.1	एम0 जी0 अप शन्ट सेथल की ओर					
(क)	लाइन सं0 1 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 66 से	201	206,	एस एच 66	एम	...
(ख)	लाइन सं0 2 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 64 से	206, 201		एस एच 64	एम	...
8	डाउन शन्ट इज्जतनगर की ओर (बी0 जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 27 से	...	203	एस एच 27	जी	229
(ख)	लाइन सं0 2 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 25 से	203, .	...	एस एच 25	जी	229
8.1	डाउन शन्ट दोहना की ओर (एम0 जी0)					
(क)	लाइन सं0 1 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 67 से	...	208	एस एच 67	एन	
(ख)	लाइन सं0 2 के शन्ट सिगनल सं0 एस एच 65 से	207, 208	...	एस एच 65	एन	...
9	अप / डाउन गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन					
(i)	बी 0 जी0 / एम0 जी0 अप गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन					
(क)	लाइन सं0 1 पर आगमन		203	सी 10	बी	229
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	203,	...	सी 10	ए	229
(ग)	लाइन सं0 1 पर आगमन		208, 207	सी 48	के	229
(घ)	लाइन सं0 2 पर आगमन	207, 208	...	सी 48	जे	229
(ii)	बी0 जी0 / एम0 जी0 डाउन गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन					
(क)	लाइन सं0 1 पर आगमन		201, 202	सी 3	बी	1
(ख)	लाइन सं0 2 पर आगमन	202	201	सी 3	ए	1

(के0.एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/46

भोजीपुरा

(ग)	लाइन सं० 1 पर आगमन	201	206	सी 43	के	228
(घ)	लाइन सं० 2 पर आगमन	201, 206	...	सी 43	जे	228

11. **संचार साधन :-** स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) इज्जतनगर स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iii) देवरनिया स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) दोहना स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) सेथल स्टेशन के टोकेन ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- vi) इंजी० समपार फाटक सं० 3/सी (भोजीपुरा -देवरनिया) किमी० 3/8-9 के साथ टेलीफोन
- vii) इंजी० समपार फाटक सं० 229A/सी (भोजीपुरा -दोहना) किमी० 301/8-9 के साथ टेलीफोन
- viii) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 1/सी (भोजीपुरा-देवरनिया) किमी० 0/6-7 के साथ टेलीफोन
- ix) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 228/सी (भोजीपुरा- सेथल) किमी० 299/13-14 के साथ टेलीफोन
- x) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 229/सी (भोजीपुरा- दोहना) किमी० 301/3-4 के साथ टेलीफोन
- xi) इंजी० समपार फाटक सं० 230/सी (भोजीपुरा -दोहना) किमी० 303/1-2 के साथ टेलीफोन
- xii) इंजी० समपार फाटक सं० 231/सी (बी०जी०)(भोजीपुरा -इज्जतनगर) किमी० 304/2-3 के साथ टेलीफोन
- xiv) वी०एच०एफ० सैट 25 वाट
- xv) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन

11A. **संचार साधनों की विफलता के दौरान कार्यवाही :-**

साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' पार्ट - II , परिशिष्ट 'घ' एवं साधारण एवं सहायक नियम 14.13 के नोट 'बी' के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।)

12. **इकहरी लाइन के लिये असहकारी टोकेनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण**

इस उपकरण के मुख्यतः दो भाग हैं :-

1. एक रिले केबिनेट है जहाँ सभी रिले एकत्रित रहती है ।
2. एक डैश बोर्ड होता है जिसे कन्ट्रोल पैनल कहा जाता है जिस पर पुश बटन, संकेतक, बेल, टेलीफोन इत्यादि लगे रहते हैं। उपरोक्त दो भागों में से एक पूरी इकाई का निर्माण होता है। कन्ट्रोल पैनल रिले केबिनेट के ऊपर स्थित होता है। संकेतक एवं बटन इतनी ऊँचाई पर होते हैं कि एक सामान्य कद के आदमी द्वारा आसानी से देखे व संचालित किये जा सकें। ये टोकेनलैस ब्लाक उपकरण गाड़ी संचालन में किसी भी तरह से साधारण एवं सहायक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। विवरण निम्नलिखित है :-

(के०.एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

1. पुश बटन संकेतको आदि का विवरण :i) बेल पुश बटन : रंग काला, संकेत (कोड) बी.सी.बी.।

इस बटन का उपयोग दूसरे स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित करने तथा ब्लाक यन्त्र के संचालन के लिये होता है। जब इसका उपयोग दूसरे बटन के साथ किया जाता है तों उस सम्बन्धित कोड की धारा प्रवाहित होती है। जब इसको अकेले दबाया जाता है तो बेल कोड की धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित करने हेतु घन्टी बजती है। जब कभी इसको अकेले दबाया जाता है या किसी अन्य दूसरे बटन के साथ दबाया जाता है तो उससे सम्बन्धित संकेतक जल उठता है।

ii) गाड़ी का प्रस्थान बटन : रंग हरा, संकेत (कोड) टी.जी.टी.।

इसके साथ में बी.सी.बी. को दबा कर दूसरे स्टेशन के उपकरण पर टी०सी०एफ० की शर्तें यदि पूरी होती हैं तो उपकरण को टी.जी.टी. किया जा सकता है।

iii) लाइन क्लोज्ड बटन : रंग सफेद संकेत (कोड) एल.सी.बी.

इस बटन को बी०सी०बी० के साथ दबाने पर लाइन क्लोज्ड की शर्तें यदि पूरी होती हों तो प्रखण्ड को बन्द किया जा सकता है या किसी गाड़ी का लाइन क्लीयर कैन्सिल किया जा सकता है।

iv) कैन्सिल बटन : रंग लाल संकेत (कोड) कैन्सिल।

किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर को निरस्त करने के लिये इसको बी०सी०बी० बटन के साथ दबाया जाता है। काउन्टर पर अगला नम्बर प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़ जाता है। यदि गाड़ी को पीछे वापस किया गया हो तो लाइन क्लीयर तत्काल निरस्त करने की प्रक्रिया को किया जा सकता है, परन्तु यदि गाड़ी स्टेशन से नहीं छूटी है और लाइन क्लीयर निरस्त करना है तो फ्री संकेत जल जाने के बाद ही लाइन क्लीयर निरस्त करना चाहिये। फ्री संकेत एक निर्धारित समय अन्तराल के बाद मिलता है।

v) पैनल लैम्प बटन : रंग पीला संकेत (कोड) पैनल लैम्प - 1 केवल टी.ओ.एल. (गाड़ी लाइन पर है) एवं प्रो संकेत को छोड़कर इसे दबाने पर अन्य सभी संकेतक जल जाते हैं। उपकरण किस स्थिति में है इसकी जानकारी करने के लिये इसे दबाया जाता है। बी.सी.बी. को यदि अकारण दबाया जाता है तो लाइन पर एक कोड उत्पन्न होता है और दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को घंटी की आवाज मिलती है। अतः जब आवश्यकता तो तभी संकेतों को देखना चाहिये ताकि ऊर्जा के स्रोत का कम उपयोग हो।vi) शन्टिंग का बटन : रंग नीला संकेत (कोड) एस.एच.के.।

यदि शन्टिंग कार्य (शन्टिंग चाभी) करना हो तो आवश्यकता पड़ने पर इसे दबाकर उपकरण से निकाला जा सकता है।

vii) कैच स्लिप साइडिंग कन्ट्रोल चाभी बटन : रंग नीला संकेत (कोड) एस.सी.के.।

जहाँ पर दिया गया है, इसको दबाकर साइडिंग होकर उपकरण से चाभी को निकाला जा सकता है।

2. पैनल के संकेतक :i) गाड़ी आ रही है (हरा) :

जब यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रही है अर्थात् लाइन क्लीयर दिया जा चुका है।

ii) **लाइन क्लोज्ड (लाइन बन्द) (सफेद) :**

जब भी यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि प्रखण्ड बन्द है। दूसरे शब्दों में प्रखण्ड में कोई गाड़ी नहीं है।

iii) **गाड़ी जा रही है। (हरा) :**

जब यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में गाड़ी का लाइन क्लीयर लिया जा चुका है।

iv) **अन्तिम रोक सिगनल संकेतक :**

जब लाल संकेतक जले तो इसका तात्पर्य है कि अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में है और यदि हरा जले तो अन्तिम रोक सिगनल “आफ” की स्थिति में है।

v) **एस०एन०आर० संकेत :**

यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा स्टेशन मास्टर अपने पैनल के बारे में जानकारी करता है कि सभी नियन्त्रण सामान्य स्थिति में है व प्रथम रोक सिगनल, डिस्टेन्ट सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल “आन” की स्थिति में जल रहें हैं। इनमें से यदि कोई सिगनल नहीं जल रहा हो या होम सिगनल का रिप्लेसन ट्रैक लाल है तो लाइन क्लीयर नहीं मिलेगा।

vi) **गाड़ी लाइन पर है (लाल) -**

इस बात का संकेत देता है कि गाड़ी लाइन क्लीयर प्राप्त होने के बाद ब्लाक प्रखण्ड में प्रवेश कर चुकी है। यह तब तक जलता रहेगा जब तक कि गाड़ी स्टेशन पर न आ जाये और प्रखण्ड को बन्द कर दिया जाये।

vii) **फ्री संकेतक (हरा) :**

इस बात का संकेत देता है कि लाइन क्लीयर को निरस्त करने का समय अन्तराल पूरा हो चुका है। यदि गाड़ी स्टेशन से नहीं छूटी है तो लाइन क्लीयर निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त तीनों संकेतक अपनी-अपनी शर्तों के पूरा हो जाने पर स्वतः जल जाते हैं और इन्हें जलाने के लिये बी०सी०बी० बटन को दबाना नहीं पड़ता है।

3. **काउन्टर : (गणक)**

यह जितनी बार भी लाइन क्लीयर को निरस्त किया जाता है, उसकी गणना कर लेता है। जब भी लाइन क्लीयर को कैंसिल करने हेतु कैंसिल तथा बी०सी०बी० बटन को दबाया जाता है, काउन्टर एक अगली संख्या पर चला जाता है।

4. **स्टेशन मास्टर की चाबी (कोड- एस.एम.के.)**

इस चाबी का उपयोग स्टेशन मास्टर द्वारा इसलिये किया जाता है ताकि कोई दूसरा इसको संचालित न कर सकें। जब स्टेशन मास्टर द्वारा इस यन्त्र को लाक कर दिया जाता है तो इस यन्त्र पर टी.जी.टी. या लाइन क्लोज्ड या बेल कोड कर पाना सम्भव है, परन्तु इस यन्त्र पर टी०ओ०एल० कोड को भेजना एवं प्राप्त करना, टी०जी०टी० कोड भेजना, टी.सी.एफ. लाइन क्लोज्ड प्राप्त करना, लाइन क्लोज्ड कोड का उत्तर भेजना एवं घन्टी कोड को प्राप्त करना सम्भव है। इस प्रकार इस यन्त्र को स्टेशन मास्टर चाबी द्वारा लाक कर देने से इसकी असहकारी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, लेकिन यदि चाबी निकाल ली जाये तो सम्बन्धित स्टेशन से बात-चीत करना सम्भव है।

5. सिंगल स्ट्रोक घंटी :

इस घंटी का उपयोग हमेशा किया जाता है। इसके द्वारा स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित किया जाता है और बेल कोड सिगनल के रूप में उपयोग किया जाता है।

6. एलार्म घंटी टी०ओ०एल० :

गाड़ी के खण्ड में प्रवेश करने पर यह घंटी रूक-रूक कर ट्रेन रिसीविंग स्टेशन पर तब तक बजती रहती है जब तक कि गाड़ी लेने वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर बी०सी०बी० बटन दबाकर एकनालेज न कर ले।

7. गाड़ी आगमन एलार्म घंटी :

आगमन सिगनल आफ करके स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के पश्चात यह घंटी लगातार गाड़ी लेने वाले स्टेशन पर बजती है जिसका तात्पर्य है कि यन्त्र को लाइन क्लोज्ड स्थिति में जाया जा सकता है।

12.1 इकहरी लाइन पर असहकारी टोकनलेस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की विधि :(क) “ए” स्टेशन से “बी” स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया :

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
1. स्टेशन मास्टर की चाबी को डालिये और घुमाइये	3. ध्यानाकर्षण (काल अटेंशन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हो।
2. बेल पुश बटन से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हो।	4. स्टेशन मास्टर की चाबी को डालिये और घुमाइये
5. टेलीफोन पर गाड़ी का विवरण दीजिये और प्राइवेट नम्बर के बदलाव के साथ लाइन क्लीयर मांगिये।	6. गाड़ी के विवरण की अभिस्वीकृति दीजिये एवं स्टेशन “ए” के प्राइवेट नम्बर को दोहराइये और गाड़ी का लाइन क्लीयर प्राइवेट नम्बर के साथ दीजिये परन्तु इस बात को अवश्य सुनिश्चित करें कि शनिंटिंग चाभी, ब्लाक यन्त्र एच०के०टी० में मौजूद है।
	7. गाड़ी आने की अनुमति प्राइवेट नम्बर के साथ दीजिये।
8. गाड़ी प्रस्थान (टीजीटी) बटन को घंटी संकेत बेल पुश बटन के साथ दबायें	9. ब्लाक यन्त्र गाड़ी आगमन की स्थिति में हो जाता है।
10. ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है।	
11.(क) अन्तिम रोक सिगनल को “आफ” करें।	
(ख) ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।	
(ग) अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन पर लौट आता है।	

(घ) लाइन पर गाड़ी संकेत स्वतः प्रकट होता है तथा स्पष्ट सुनाई देने वाली घन्टी बजती है।	
	12. लाइन पर गाड़ी संकेत स्वतः प्रकट होता है तथा स्पष्ट सुनाई देने वाली घंटी बजती है।
	13.(क) बेल पुश बटन बी०सी०बी० को दबाकर घंटी चेतावनी की ध्वनि एकनालेज करें।
	(ख) सुनायी पड़ने वाली चेतावनी बन्द हो जाती है।
	14.(क) आगमन सिगनलों को “आफ” करें।
	(ख) गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।
	(ग) प्रथम रोक सिगनल “आन” स्थिति में लौट आता है।
	(घ) सुनाई पड़ने वाली घंटी बजना प्रारम्भ करती है।
	(ङ) पैनल पर आगमन सिगनल बटन एवं एकनालेज बटन दबाने पर सुनाई पड़ने वाली चेतावनी घन्टी बन्द हो जाती है।
	15. लाइन बन्द बटन एवं बेल पुश बटन को एक साथ दबायें। दबाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि गाड़ी पूर्ण रूप से आ गयी हो तथा सभी सिगनल “आन” कर दिये गये हो।
16. ब्लाक यन्त्र लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो जाता है।	17. ब्लाक यन्त्र लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो जाने का संकेत मिलने पर लाइन बन्द बटन एवं बेल पुश बटनों को छोड़ दें।

(ख) **ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रक्रिया :**

ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण आगमन संकेत को प्रदर्शित करता है और प्रथम रोक सिगनल “आन” स्थिति में हो।
1.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाइये।	
(ख) बेल पुश बटन के साथ कैन्सिल बटन को दबाइये।	
(ग) काउन्टर गणक अगली दूसरी संख्या अंकित करती है।	
2. ध्यानाकर्षण सिगनल दीजिये तथा ब्लाक टेलीफोन पर उपस्थिति होइये।	

	3.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाइये।
	(ख) ध्यानाकर्षण सिगनल की अभिस्वीकृति दीजिये तथा ब्लाक टेलीफोन सुनिये।
4. टेलीफोन पर गाड़ी प्रस्थान को कैन्सिल करने का कारण बताइये।	5. गाड़ी प्रस्थान को कैन्सिल किया जा रहा है, इसकी अभिस्वीकृति दीजिये।
	6. यदि आगमन सिगनल “आफ” कर दिये गये हो तो सिगनल को “आन” कर दे।
7.कैन्सिलेशन स्विच के संचालित होने के लगभग एक मिनट के बाद फ्री संकेत मिलता है।	
8. सभी सम्बन्धित सिगनल “आन” स्थिति में है, इसको सुनिश्चित कर ले तथा लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाइये।	9. अभिस्वीकृति दीजिये तथा ब्लाक उपकरण को सामान्य स्थिति में आने के लिये लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाइये।
	10. ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड स्थिति में होने पर बटन को छोड़ दीजिये।
11 ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड स्थिति में आ जाने पर बटनों को छोड़ दीजिये।	

(ग) यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रक्रिया :

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान तथा लाइन पर गाड़ी है,के संकेतो को दर्शाता है।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है, के संकेतो को प्रदर्शित करता है।
	1.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाएं
	(ख) बेल पुश बटन को दबाकर सुनाई पड़ने वाली चेतावनी की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ग) सुनाई पड़ने वाली चेतावनी बन्द हो जाती है।
	(घ) ध्यानाकर्षण सिगनल दीजिये और ब्लाक टेलीफोन सुनिये।
2.(क)स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाएं	
(ख) ध्यानाकर्षण की अभिस्वीकृति बेल पुश बटन को दबाकर दें।	
3. गाड़ी को वापस पीछे करने का कारण बताइये।	4. गाड़ी वापस क्यों की जा रही है, इसकी अभिस्वीकृति दीजिये तथा यदि आगमन सिगनल “आफ” कर दिये गये हो तो उन्हें “आन” स्थिति में कर दीजिये।

5.(क) आगमन सिगनल को आफ कर दे।	
(ख) गाड़ी स्टेशन पर वापस आती है।	
(ग) प्रथम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में कर दे।	
(घ) गाड़ी आगमन की चेतावनी घंटी बजने लगती है।	
6.(क)कैन्सिलेशन एवं बेल पुश बटन को दबाइये।	
(ख)काउन्टर गणक दूसरी आगे की संख्या को प्रदर्शित करता है।	
7.(क) गाड़ी पूर्ण रूप से आ चुकी है, इसे सुनिश्चित कर ले तथा सम्बन्धित सिगनल “आन” की स्थिति में कर दे।	8. अभिस्वीकृति दे तथा लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाकर ब्लाक यन्त्र को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करे।
(ख)ध्यान आकर्षण करे तथा लाइन क्लोज्ड बटन एवं बेल पुश बटन को दबाइये।	9. ब्लाक उपकरण के लाइन बन्द की स्थिति में आ जाने पर बटन को छोड़ दे।
10.ब्लाक उपकरण के लाइन क्लोज्ड स्थिति में आ जाने पर बटन को छोड़ दे।	

(घ) **अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :**

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में हो।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) एच०के०टी० बटन को दबाकर शन्टिंग चाबी को निकालिये	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
3.(क)शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।	
नोट : स्टेशन “बी” उपकरण को गाड़ी के प्रस्थान की स्थिति में कर पाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि स्टेशन पर शन्टिंग चाबी निकाली जा चुकी होती है। शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर स्टेशन “ए” स्टेशन “बी” को सूचित करता है कि शन्टिंग कार्य समाप्त हो गया है।	

- (ड) जाने वाली गाड़ी के पीछे अन्तिम रोक सिग्नल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिग्नल के मध्य शन्टिंग करने की प्रक्रिया ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो :-

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान करने की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिग्नल “आन” स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) एच०के०टी० बटन को दबाकर शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये।	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है :	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी हैपर्स की ट्रांसमीटर में लगा दी जाती है।	4. गाड़ी को स्टेशन पर लेने के बाद उपकरण को लाइन क्लोज्ड की स्थिति में कर दे।
स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन “बी” ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह स्टेशन “ए” से वस्तुस्थिति की जानकारी करेगा।	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी हैपर्स की ट्रांसमीटर में लगा दी जाती है।	
4. टेलीफोन से शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे दी जाती है।	5.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दे।

- 12.2 **इकहरी लाइन के लिये एक्सल काउन्टर सहित सहकारी डायडो टाइप टोकनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण**

इस उपकरण की बनावट का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 **गैलावनोस्कोप –**

यह अपने तथा जाने वाली डी०सी० धारा के कारण विचलित होता है। जब दोनों ओर के किसी भी स्टेशन मास्टर द्वारा बटन दबाया जाता है तो इसकी सुई विचलित होती है।

2 समय समाप्ति सूचक –

यह उपकरण के सामने बाँयी ओर लगा होता है। लाइन क्लीयर निरस्तीकरण के समय साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल की सूचना देता है। सामान्यतया यह सूचक सफेद पट्टी पर लाकड लिखा रहता है और साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल के बाद खत्म (हरी पट्टी पर) लिखा हुआ आता है।

3 स्विच एस ए 1 –

धातु का बना यह स्विच लाइन के निरस्तीकरण के लिये उपयोग किया जाता है जब गाड़ी ब्लाक खण्ड में ना पहुँची हो।

4 स्विच एस ए 2 –

धातु का बना यह स्विच पुश बैक मूवमेन्ट के दौरान होम सिगनलों को आफ करने के लिये प्रयुक्त होता है तथा गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर वापिस लिया जाता है।

5 टी0ओ0एल0 सूचक –

यह उपकरण के सामने दाँयी ओर लगा रहता है। सामान्यतया यह सफेद रंग की पट्टी के रूप में रहता है और जैसे ही गाड़ी ब्लाक खण्ड में प्रवेश करती है तो लाल रंग की पट्टी में 'ट्रेन आन लाइन' प्रदर्शित करता है।

6 पुश बटन पी0बी0 1 –

धातु की घुण्डी के रूप में यह बटन घण्टी कोड देने के लिये प्रयुक्त होता है और आटो टी0ओ0 एल0 संकेतन को गाड़ी आगमन स्टेशन के द्वारा एकनालेज करने में प्रयुक्त होता है।

7 ब्लाक हैण्डिल –

यह धातु का हैण्डिल उपकरण के सामने की ओर लगा रहता है। इसका हत्था ऊपर की ओर लाइन क्लोज्ड पोजीशन (एन) प्रदर्शित करता है। गाड़ी ब्लाक खण्ड में जा रही है (एल) प्रदर्शित करता है। गाड़ी आ रही है (आर) प्रदर्शित करता है।

8 पुश बटन पी0 बी0 2 – पी0 बी0 1 के साथ दबाने पर कोड भेजता है।

9 सिंगिल स्ट्रोक बेल –

धातु की यह घन्टी उपकरण के ऊपर लगी रहती है। जब दूसरा स्टेशन बेल कोड भेजता है तो इसकी हथौड़ी इससे टकराकर घन्टी की आवाज देती है।

10 स्टेशन मास्टर चाबी –

जब यह नहीं लगी रहती है तब उपकरण के सारे कार्य बन्द हो जाते हैं। केवल दूसरे स्टेशन के द्वारा बजायी गयी घन्टी बजती है तथा टी0 ओ0 एल0 कोड भेजा जाता है।

11 शॉटिंग चाबी –

यह ब्लाक उपकरण में लगी रहती है तथा यह केवल तभी निकाली जा सकती है जब ब्लाक उपकरण का हैण्डिल नार्मल स्थिति में होता है या ट्रेन गोइंग टू स्थिति में होती है। यह चाबी तभी निकाली जा सकती है जब स्टेशन मास्टर चाबी लगी हो तथा घुमी हुई हों।

12 काउन्टर्स (गणक)–

काउन्टर एक और काउन्टर दो केवल स्विचों (एस 1 तथा एस 2) के कार्य की गणना करता है।

13 टेलीफोन (एच0एम0टी0)–

यह उपकरण के दाँयी ओर बातचीत करने के लिये लगा होता है तथा इसमें दबाने वाला बटन लगा होता है।

12 इकहरी लाइन पर सहकारी टोकनलैस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की पध्दति :-

(क) ‘ए’ स्टेशन से ‘बी’ स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया -

स्टेशन ‘ए’		स्टेशन ‘बी’	
	ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे		ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे
1	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये		
2	पी0 बी0 1 से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों	3	ध्यानाकर्षण (काल अटैन्शन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों
		4	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये
		5	पी0 बी0 1 को दबाकर बेल कोड का प्रति उत्तर दें
6	बेल कोड सिगनल का प्रति उत्तर प्राप्त करें		
7	टेलीफोन अटैण्ड करें	8	टेलीफोन कोड प्राप्त करें तथा टेलीफोन पर बात करें
9	टेलीफोन पर बात करके लाइन क्लीयर पूछिये	10	लाइन क्लीयर सम्बन्धी पूछताछ का जवाब दें
11	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबाकर लाइन क्लीयर मॉगिये	12	बात होने के बाद एक के बाद बटनों को दबाये जाने के बाद गैल्वो की सुई को देखते हुए हैण्डिल को धीरे-धीरे टी0सी0एफ0 की तरफ घुमायें
13	गैल्वो की सुई में हल्का झटका देखने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें	14	अब आप पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
15	हैण्डिल को धीरे-धीरे टी0जी0टी0 स्थिति में लायें	16	गैल्वो की सुई को देखते रहें तथा हल्का सा हिलने पर पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
17 क	अन्तिम रोक सिगनल को आफ करें		
ख	ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।		
ग	अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन हो जाता है तथा डिपार्चर बजर बोलेगा	18	टी0ओ0एल0 संकेतन बजने / दिखने पर पी0बी0 1 एकनालेज करें
19	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा	20	टी0ओ0एल0 बजर बन्द हो जायेगा
		21 क	आगमन सिगनलों को आफ करें
		ख	गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।
		ग	प्रथम रोक सिगनल आन की स्थिति में लौट आता है

		घ	गाड़ी के आगमन पर बजर बजने लगता है जिसे आगमन एकनालेज बटन दबाकर शान्त करें
		22	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को दबाकर गाड़ी आगमन तथा ब्लाक सैक्शन क्लीयर की सूचना दें
23	ब्लाक यन्त्र के हैण्डिल को धीरे-धीरे लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाइये	24	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें
25	पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 बटनो को दबायें	26	हैण्डिल को धीरे-धीरे क्लोज्ड स्थिति में लायें
27	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी0 बी0 1 को तथा पी0 बी0 2 को छोड़ें		

(ख) ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।		ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।
1	पी0 बी0 1 दबाकर स्टेशन 'बी' को बुलायें तथा लाइन क्लीयर निरस्तीकरण की बात करें।	2	टेलीफोन पर विस्तार से बात करें
3 क	स्टेशन मास्टर की कुन्जी लगाकर घुमाइये		
ख	स्विच एस 1 को घुमाएं		
ग	काउन्टर गणक अगली संख्या अंकित करता है		
घ	दो मिनट के समय अन्तराल के बाद फ्री इंडिकेशन जलेगा। पी0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें	4	घन्टी सुनने के बाद गैल्वो को देखते हुए हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		5	हैण्डिल नार्मल होने के बाद पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
6	एस 1 को नार्मल करें तथा हैण्डिल को टी0जी0टी0 से नार्मल में लायें		

(ग) यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान तथा लाइन पर गाड़ी है		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है।
1	एस 2 स्विच घुमाइये		
2	काउन्टर पर अगला नम्बर देखें		

3	आगमन संकेतक आफ करें तथा गाड़ी आगमन पर आगमन संकेतक स्वतः आन हो जायेगा। आगमन बजर को सुनें		
4	गड़ी आगमन की सूचना पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 दबाकर भेजें	5	घन्टी सुनने के बाद हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		6	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
7	एस 2 को नार्मल करें तथा ब्लाक उपकरण हैण्डिल को नार्मल करें		

(घ) अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में हो।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।	

(ङ) अन्तिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य जाने वाली गाड़ी के पीछे जब ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो तब शन्टिंग करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन “ए”	स्टेशन “बी”
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल “आन” स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये।	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है :	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी ब्लाक उपकरण में लगायें	4. स्टेशन ‘ए’ से फोन द्वारा सूचना प्राप्त करें

(के0.एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन “बी” ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तथा स्टेशन “ए” की शंटिंग चाबी बाहर रहने की स्थिति में	
	9 स्टेशन ‘ए’ से टेलीफोन पर बात करके वस्तु स्थिति की जानकारी लें
2.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को ब्लाक उपकरण में लगायें	
(ग) स्टेशन ‘बी’ को शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे	3.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दे।

13 कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था :

- (1) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाय सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई०पी०एस० की मॉनिटरिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिसमें निम्न सूचनाएं प्रकाशित होंगी :-
- (2) सामान्यतया छः हरी बत्ती दो पीली, तथा दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती हैं। अन्य लाल बत्तियाँ बुझी रहती हैं।
- (क) छः हरी बत्ती आई०पी०एस० की बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती हैं, जो कि बैट्री वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती है जाती हैं।
- (ख) बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु अलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिए।
- (ग) जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनों पीली बत्तियाँ बुझती हैं तथा आपात कालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म बजता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- (घ) जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर के हैंडिल के माध्यम से डी०जी०सैट चलाया जायेगा।
3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति के विफल होने पर विफलता के कारणों को दूर कर पुनः सामान्य किया जा सकता है।
- (क) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्ज ओवर स्विच ‘ए’ जो सामान्य स्थिति में सदैव कमर्शियल पावर सप्लाय की तरफ लगा रहता है, को जनरेटर साइड में लगा देंगे।

- (ख) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे हैं। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्ज ओवर स्विच 'बी' लगा है जो सामान्य बीच में रहता है, जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (ग) सामान्यतया स्टेशन मास्टर स्टैंडबाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 का प्रयोग किया जायेगा।
- (घ) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4 - 4 घन्टा के अन्तराल में बदल-बदल कर चलायें।
4. जब कमर्शियल सप्लाई आ जाय तो सिवच 'ए' को कमर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दें और सिवच 'बी' को मध्य स्थिति में कर दें तथा जनरेटर को बन्द कर दें।
5. जब जनरेटर में डीजल आयल भरा जाय तो स्टेशन मास्टर डीजल आयल पंजिका इसका इन्दराज तुरन्त करें। स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर के उपरयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता / उपलब्धता का इन्दराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें।

प्रारूप

व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	डी०जी०सैट चलने का समय घन्टा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	टिप्पणी
			स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	चलने का कुल समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत आदि का विवरण लाग बुक के टिप्पणी कालम में इन्दराज करें।
8. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-**
आई०पी०एस०मानिट्रिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेंगे एवं रिले अकार्यशील हो जायेंगी।
9. **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-**
आई०पी०एस० के विफल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भलिभाँति सुनिश्चित कर लें कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

14. कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। जब कभी होम सिगनल विफल हो जाये या मार्ग अथवा ओवर लैप का ट्रैक सर्किट (होम सिगनल के रिप्लेसर ट्रैक सर्किट को छोड़कर) विफल हो जाये तब इसे आफ किया जाता है। कालिंग आन सिगनल को आफ करने के लिये पैनल द्वारा कौंटों को अलग-अलग सैट किया जायेगा। इसके उपरान्त कालिंग आन सिगनल का सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर कालिंग आन सिगनल 60 सेकेण्ड के बाद आफ हो जायेगा। कालिंग आन सिगनल आफ करने के लिये यह भी आवश्यक है कि यदि चालक गाड़ी को कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर नहीं खड़ी करता है तो स्टेशन मास्टर चालक को बी०जी० की अप गाड़ी के लिये ए10T एवं डाउन गाड़ी के लिये ए3T कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर लाने के लिये वाकी-टाकी पर सूचित करेगा अन्यथा कालिंग आन सिगनल आफ नहीं होगा। कालिंग आन सिगनल पर गाड़ियों का रिसैप्शन करने पर पूरी गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जाने के बाद एवं पीछे का रूट बुझ जाने के 2 मिनट बाद ही गाड़ी चलाने के लिये सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल टेक आफ किया जा सकेगा। इस अवधि में 120 सेकेण्ड NJKE का इंडिकेशन पैनल पर जलता रहेगा।

15. साइडिंग कौंटों का संचालन एवं कार्य विधि :- कोई नहीं।**16. विफलताएं :-**

संकेतन एवं अन्तर्पार्शन, गाड़ी संकेतन उपकरण तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संचालन उपकरण एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियान्त्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जब संकेतन एवं अन्तर्पार्शन विफल हो जाये तो साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.68, 3.69, 3.71, 3.76, 3.77, 3.81, और 5.01 में उल्लिखित प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाय।

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें सूचित करना है	मुख्यालय
1	यॉन्त्रिक सिगनल अनुरक्षक	भोजीपुरा
2	विद्युत सिगनल अनुरक्षक	भोजीपुरा
3	जे० ई० सिगनल	इज्जतनगर
4	सीनियर सैक्शन इंजी० सिगनल	इज्जतनगर
5	सहायक मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
6	वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
7	वरिष्ठ मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
8	सहायक मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
9	सीनियर सैक्शन इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
10	जूनियर इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
11	मुख्य गाड़ी नियन्त्रक	इज्जतनगर
12	यातायात निरीक्षक	इज्जतनगर
13	वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
14	मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
15	वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर
16	वरिष्ठ मण्डल यॉन्त्रिक इंजी०	इज्जतनगर
17	चारों छोर के स्टेशन मास्टर	देवरनिया / दोहना / सेथल / इज्जतनगर

कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं का सिगनल विफलता पंजिका में इन्दराज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम० अथवा एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इन्दराज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें और स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरितस भी करा लें।